कामकाजी महिला

वर्ष 3 अंक 3 फरवरी, 1991 मूल्य : 2 रु०

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सम्मेलन 5-6 जनवरी 1991 उदयपुर

"महिला विद्युत कर्मचारी समन्वय समिति"

सीटू के अन्तर्गत प्रथम राज्य स्तरीय कनवेंशन

—के० के० सुशीला, के० एस० ई० बी० ए०

केरल राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों में से लगभग आधी महिलाएं हैं, जिनमें से 50% केरल राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी संघ (सीटू) की सदस्य हैं। एक जिम्मेदार श्रमिक संघ होने के नाते कर्मचारी संघ को कर्मचारियों तथा संस्थान, दोनों के हितों की रक्षा करनी है। हम जानते हैं कि कामकाजी महिलाएं कामगार वर्ग का एक हिस्सा हैं। उनको संगठित किये बिना कोई मजदूर आन्दोलन सफल नहीं हो सकता।

कामकाजी महिलाओं की बहुत-सी समस्याओं को प्रायः नजरअन्दाज कर दिया जाता है। उन्हें संगठित करना अति आवश्यक है। अधिकतर कार्यालयों में महिलाओं के लिए प्राथमिक सुविधाएं नहीं होतीं। गर्भावस्था सुविधाएं अपर्याप्त हैं। शिशु-सदनों के बारे में किसी ने विचार नहीं किया। अधिकतर महिला कर्मचारी इन तथा उनको सीधे प्रभावित करने वाली कई समस्याओं से अनभिज्ञ हैं।

यह महत्वपूर्ण समय है कि महिलाओं को संगठित करके मजदूर आन्दोलन की मुख्यधारा में लाया गया है। कर्मचारी संघ ने महिला कर्मचारियों का एक कनवेंशन करने का फैसला किया। महिला विद्युत कर्मचारियों का पहला राज्य स्तरीय कनवेंशन केरल के औद्योगिक नगर अरनाकुलम में टाउन हॉल में 21 सितंबर 1990 को हुआ। यह कनवेंशन कर्मचारी संघ (सीटू) के तत्वाधान में हुआ। इस कनवेंशन में लगभग 525 सदस्यों व 100 दर्शकों ने भाग लिया। प्रायः जो महिलाएं यूनियन के कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेतीं, उन्होंने भी इसमें बड़े उत्साह से भाग लिया।

कनवेंशन की अध्यक्षता डॉ. एन. प्रेमाकुमारी ने की तथा डॉ. सरोजिनी बालानन्दन; जो कि डैमोक्रैटिक वीमेन

इस अंक में

सीटू के अंतर्गत प्रथम राज्य स्तरीय कनवेंशन"	2
"सांप्रदायिक माहौल के विरुद्ध कार्यसमिति का गठन"	7
मंदिर-मस्जिद नहीं गिरेंगे, हिन्दू-मुस्लिम एक रहेंगे	8
एयर इंडिया के भेद-भाव के विरुद्ध संघर्ष के लिए विमान परिचारिकाएँ दृढ़-प्रतिज्ञ	9
'श्री कालवों इस्तीफा दें'	10
"अखिल भारतीय आंगनवाड़ी महिला फैडरेशन संगठित संघर्ष का आह्वान करती है"	11
गर्भपात के लिए गर्भावस्था अवकाश की मंजूरी	16
4 मार्च को दिल्ली में शेखर सरकार से दो-दो हाथ करेंगे	17
आंगनवाड़ी कामगार यूनियन तहसील गोगुंदा का सम्मेलन ग्राम सायरा में सम्पन्न	18
उदयपुर में आयोजित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं के राष्ट्रीय सम्मेलन का संक्षिप्त विवरण	20
सरकारी क्षेत्र की यूनियन के अन्तर्गत कामगार महिलाओं का सम्मेलन	21
बहुराष्ट्रीय निगम : कामकाजी महिलाओं के दमन के एजेंट	22

सीटू के अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति के लिए विमला रणदिवे की ओर से 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001, (फोन नं० 3714071) से सम्पादित और प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21 झिलमिल इंडस्ट्रीयल एरिया, शाहदरा, दिल्ली में मुद्रित।

ऐसोसिएशन की अध्यक्षा हैं; ने कनवेंशन का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में कनवेंशन में सदस्यों की भारी हिस्सेदारी के लिए कर्मचारी संघ को मुबारकबाद दी। उन्होंने ध्यान दिलाया कि विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त सफलताएं कठिन संघर्षों का नतीजा है, उन्होंने केरल राज्य विद्युत बोर्ड की महिला कर्मचारियों का आगे आकर श्रमिक संघ में सक्रिय हिस्सेदारी करने के लिए आह्वान किया।

कनवेंशन को विभिन्न कर्मचारी संघों व श्रमिक संघों के नेताओं ने शुभकामनाएं प्रदान कीं।

केरल एन. जी. ओ. यूनियन के नेता कॉ. के. आर. भानुमती ने केरल राज्य विद्युत बोर्ड की सभी महिला कर्मचारियों से कामकाजी महिलाओं की मांगों को पूरा करवाने के संघर्ष में आगे आने को कहा। उन्होंने उन दिक्कतों के बारे में बताया जिनका उन्हें सत्तर के दशक में, महिलाओं को संगठित करते समय सामना करना पड़ता था, जबकि उनकी मांगों के प्रति सरकार का रवैया बिल्कुल नकारात्मक था। आज कामकाजी महिलाओं ने जो भी हासिल किया है, अपने संघर्ष और बलिदानों के जरिए हासिल किया है। केरल की वर्तमान सरकार का उनकी समस्याओं के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण रवैया है। केरल की वाम मोर्चा सरकार का हित-साधन हमारा फर्ज है।

केरल जल प्राधिकरण की कॉ. पद्मा ने कामकाजी महिलाओं में कार्यक्रमों पर एकता की आवश्यकता पर बल दिया।

कॉ. सोनी कामथ (के.जी.टी.ए.) ने अपने भाषण में उन समस्याओं का जिक्र किया जिनका सामना महिलाओं को हमारे जैसी पूंजीवादी व्यवस्था में करना पड़ता है। उन्होंने उन धार्मिक रूढ़िवादियों की भर्त्सना की जो देश की एकता व अखंडता को नष्ट करते हुए देश को मध्यकाल में ले जा रहे हैं।

कॉ. प्रसन्ना कुमारी (एन.एफ.पी.टी.ई) ने कहा कि केन्द्र में श्री वी. पी. सिंह के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार राजीव सरकार से कहीं बेहतर है। लेकिन हमारी अनेक मांगों पर अभी भी कोई सहमति नहीं हुई है।

केरल की लोकतांत्रिक महिला संघ की नेता कॉ. जोजफीन ने भी सभा को सम्बोधित किया। उन्होंने केरल व असम में हरिजनों व जन-जातियों की कारुणिक दशा सहित, वर्तमान भारत की स्पष्ट तस्वीर सामने रखी।

"सम्मेलन ने एक मांग पत्र का अनुमोदन किया जिसमें निम्नलिखित मांगें सम्मिलित हैं।"

1. महिलाओं की समस्याओं का पता लगाने व उनका हल ढूंढने के लिए एक वैधानिक महिला आयोग की नियुक्ति।

2. कार्यालयों में, जहां आवश्यकता हो, शिशु-सदन अथवा शिशु देखभाल केन्द्रों की स्थापना।

3. गर्भावस्था अवकाश बढ़ाकर छह माह किया जाये।

4. सभी कार्यालयों में महिलाओं के लिए अवकाश गृह, भोजनालय व जन-सुविधाओं की अलग से व्यवस्था।

5. स्थानांतरण में महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाये।

6. कार्यालय जाने के लिए वाहन-व्यवस्था हो।

7. भोजनावकाश के समय गर्भवती महिलाओं को एक घंटे का अतिरिक्त अवकाश।

केरल राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी संघ के महासचिव कॉ. के. ओ. हबीब ने भी सम्मेलन को सम्बोधित किया। उन्होंने महिलाओं की सक्रिय भागेदारी की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने ध्यान दिलाया कि कामगार महिलाओं की समस्याए जो कि सामान्य जन की समस्याओं से जुड़ी हुई हैं, तब तक समाप्त नहीं हो सकती है जब तक वर्तमान समाज व्यवस्था कायम रहती है अतः सब को मिलकर व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष करना चाहिए।

कॉ. पी. जमीला बीबी को महिला विद्युत कर्मचारी समन्वय समिति का का कनवेनर चुना गया। चार सह-कनवेनर व 44 राज्य सदस्य भी चुने गये।

कॉ. सी. के. सरोजिनी ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।

विद्युत बोर्ड की महिला कर्मचारियों को मजदूर आन्दोलन की मुख्य धारा में शामिल करने के पहले कदम के रूप में यह कनवेंशन एक महान सफलता थी।

सरकारी क्षेत्र की यूनियनों के अन्तर्गत कामगार महिलाओं का सम्मेलन

सरकारी क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का प्रथम सम्मेलन 19 दिसम्बर, 1990 को बंगलौर में हुआ। बी. एच. ई. एल., बी.ई. एल., स्टील, कोयला, लघु उद्योगों, विद्युत, इण्डिया मीटर्स, नर्सें व अनेक दूसरे राजकीय क्षेत्र के औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत महिलाओं ने सम्मेलन में भाग लिया व अपनी समस्याएं बतायीं। निजी क्षेत्र के औद्योगिक संस्थानों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को प्रबन्धकों, ठेकेदारों अथवा सरकारी एजेंटों द्वारा हर दर्जे के भेद-भाव का सामना करना पड़ता है। आश्चर्यजनक रूप से सरकारी क्षेत्र की ये महिला कर्मचारी सीधे केन्द्र सरकार के नियन्त्रण में हैं। इसके बावजूद इन महिला कर्मचारियों के वेतन में खुले भेद-भाव, पदोन्नति, छेड़छाड़, गर्भावस्था अवकाश न दिए जाने आदि की अनेक शिकायतें हैं। एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयर लाइन्स की तीन महिलाओं द्वारा सम्मेलन में भाग लेना सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण घटना थी।

सम्मेलन का संचालन एक अध्यक्ष मंडल ने किया जिसमें का. दीपाली बोस (स्टील), कृष्णाबाई (बी. एच. ई. एल.), रोहिणी चार (एयर इण्डिया), वी. सरोजा (आई. डी. पी. एल.), शीला (कोचीन शिपयार्ड), खुर्शीद बेगम (बेंग्लौर), पार्वती दास (ठेकेदार, दुर्गापुर) शामिल थीं।

का. एम. राजम्मा; चेयरमैन स्वागत समिति; ने सदस्यों तथा महिला व पुरुष कर्मचारियों का स्वागत किया।

अपने स्वागत भाषण में उन्होंने कामकाजी महिलाओं विशेषकर राजकीय क्षेत्र की कर्मचारियों; जिन्होंने पहले सम्मेलन का प्रयास किया; की महत्वपूर्ण भूमिका की बात की। उन्होंने कहा कि जब तक संयुक्त संघर्ष नहीं छेड़ते, तब तक मांगें पूरी करवाना तथा भेदभाव समाप्त करना बेहद मुश्किल है।

सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए का. विमल रणदिवे ने राजकीय क्षेत्र के पहले सम्मेलन में भाग ले रहे महिला व पुरुष सदस्यों का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। उन्होंने कहा कि 'स्टील' तथा 'कोयला' की महिला कर्मचारियों ने अपने सम्मेलन किये तथा अपनी समितियां बनाईं, उन्होंने साहसी विमान परिचारिकाओं को बधाई दी जो कई वर्षों से खुले भेद-भाव का सामना कर रही हैं। इस भेद-भाव का मुद्दा सेवानिवृत्ति की आयु है, जो कि तब की वी. पी. सिंह सरकार के वादे भी नहीं सुलझा है। पता नहीं चन्द्रशेखर सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अख्तियार करती है। का. रणदिवे ने उदाहरण देते हुए बताया कि किस प्रकार रूढ़िवादी प्रवृत्तियों तथा पुरुष प्रधान समाज व श्रमिक संघों में भेदभाव के खिलाफ संघर्ष के लिए 1979 में ए. आई. सी. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. की स्थापना हुई थी। उन्होंने यूनियनों की समितियों में महिलाओं की कम भागेदारी के बारे में भी बताया जिसके लिए यूनियन के नेता जिम्मेदार हैं। पिछले वर्षों में यह कमियां दूर की जाती रही हैं। अब महिला संघ अपने सम्मेलन करते हैं, व अपनी पत्रिकाओं में उनके बारे में लिखते हैं, हालांकि अभी भी यह सब संतोषजनक नहीं है। अन्त में उन्होंने आशा प्रकट की कि कामकाजी महिलाएं अपने हितों के लिए संघर्ष करने के साथ-साथ आम जनता के हितों के लिए भी मिलकर संघर्ष करेंगी।

सीटू के सचिव एम. के. पंधे तथा सरकारी क्षेत्र यूनियनों के नेता का. एम. के. पंधे ने कामकाजी महिलाओं के सम्बन्ध में प्रमुख प्रस्ताव रखा। उन्होंने सरकारी क्षेत्र के मजदूर आन्दोलन में पहली बार सम्मेलन किए जाने पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं की बढ़ती हुई जागरूकता को जाहिर करता है। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि यह सम्मेलन का. बी. टी. आर. के 86वें जन्मदिवस के अवसर पर हो रही है, जो कि कामकाजी महिलाओं के हितों के लिए व भेद-भाव के खिलाफ संघर्ष में सदा अग्रणी रहे हैं। उन्होंने श्रमिक संघों में पुरुष प्रधान रवैये की सदा भर्त्सना की। उन्होंने स्वीकार किया कि सरकारी क्षेत्र के श्रमिक आन्दोलन ने कामकाजी महिलाओं की कुछ समस्याओं को नजरअन्दाज किया है, यद्यपि उन्हें सुलझाने के कुछ प्रयास यूनियनों द्वारा किए गए हैं।

सरकारी क्षेत्र की महिला कर्मचारियों की संख्या केवल एक लाख 25 हजार के लगभग है, जो कि कुल कर्मचारियों का 6% है। उन्होंने टेक्नोलोजी तथा महिलाओं पर उसके प्रभाव के बारे में भी कहा, जो बेरोजगारों में प्रथम शिकार होंगी। सबको मालूम है कि 30,000 महिला खदान कर्मचारियों को नौकरियों से निकाल दिया गया है। जो महिलाएं स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने से इनकार करती हैं, उन्हें दूर-दराज के इलाकों में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसका अर्थ उनके लिए अनिवार्य सेवानिवृत्त ही होता है। महिलाओं को केवल टाइपिस्ट, आशुलिपिक व पी. ए. जैसी नौकरियां ही दी जाती हैं। तकनीकी नौकरियों में महिलाएं न के बराबर हैं।

और स्टील, कोयला उद्योग में ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी? वहां पर महिलाओं को सस्ते मजदूरों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें सामान चढ़ाने-उतारने व निर्माण का कार्य दिया जाता है। उनके लिए नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है। इसके बाद का. पांडे ने मसाला-पापड़ केन्द्र जैसे लघु उद्योगों की ओर ध्यान दिलाया जहां केवल 300 से 400 रु. मासिक मिलते हैं। उन्हें कोई चिकित्सा सुविधा नहीं दी जाती। फिर उन्होंने विमान परिचारिकाओं के साथ होने वाले भेद-भाव का जिक्र किया। यह सरकारी क्षेत्र में हुआ एक विशिष्ट संघर्ष है। एयर इण्डिया व इण्डियन एयर लाइन्स दोनों में लगभग 2000 विमान परिचारिकाएं कार्यरत हैं। लेकिन वे हर दर्जे के भेद-भाव की शिकार हैं। जहां पुरुष कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त होते हैं, वहीं महिला कर्मचारी 35 वर्ष में सेवा निवृत्त कर दी जाती हैं और इसे अधिक से अधिक बढ़ाकर 45 वर्ष किया जा सकता है। उन्हें चिकित्सकीय परीक्षा से गुजरना होता है, जिसकी पुरुषों के लिए कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती। वे अपनी यूनियनों के माध्यम से वीरता से लड़ रही हैं तथा हमारे संसद सदस्यों ने भी इस बारे में आवाज उठाई है। दरअसल इण्डियन एयर लाइन्स ने सेवानिवृत्त की उम्र 58 वर्ष स्वीकार की व घोषित भी की। लेकिन एयर इण्डिया ने ऐसा नहीं किया। वे स्टील और कोयला महिला कर्मचारियों के सम्मेलन के बारे में भी बोले। 'स्टील' में कार्यरत लगभग 1300 नर्सों ने अपना सम्मेलन किया। का. पांडे ने अपने भाषण के अन्त में महिलाओं से संगठित होकर भेद-भाव के विरुद्ध संघर्ष करने कीअपील की। उन्होंने यूनियन में शामिल होने तथा समन्वय समिति में आने को भी कहा।

सम्मेलन में विभिन्न कर्मचारी संघों के अनेक वक्ता थे जिनमें से कई ने अपने भाषण पढ़े। एच. ए. एन. की श्री देवी ने कहा कि नारी की दोहरी भूमिका है। उन्हें आठ घंटे से अधिक यात्रा करनी पड़ती है अतः काम के घंटे कम किये जाने चाहिए। कोई आराम गृह नहीं है। अपनी छोटी-छोटी मांगों को पूरा करवाने के लिए हमारे कामरेडों को आगे आना चाहिए।

दुर्गापुर स्टील प्लांट की शोभा मित्रा ने का. बी. टी. आर. को कामकाजी महिलाओं के हित में उनके मूलभूत प्रयासो के लिए श्रद्धांजलि देने के बाद कहा कि आज देश अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है तथा महिलाएं सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक रूप से सबसे अधिक शोषित हैं। पचवर्षीय योजनाओं के बाद महिलाओं ने सोचा था कि उनके लिए कुछ बेहतर परिस्थितियां व रोजगार पैदा होंगे। लेकिन जल्द ही उन्होंने देख लिया कि उन्हें केवल टाइपिस्ट, क्लर्क, अध्यापिका व रिसेप्शनिस्ट जैसी परम्परागत नौकरियों तक ही सीमित कर दिया गया है। प्रबन्धकों के मन में महिलाओं को काम देने के लिए उत्साह नहीं था। वे भी इस परंपरा को तोड़ने के प्रति सचेत नहीं थीं। दुर्गापुर स्टील प्लांट में महिलाओं को काम न होने के तर्क के आधार पर सहानुभूति दिखाकर नौकरी दी जा रही हैं। जब यूनियन ने कड़ा संघर्ष किया तब कुछ महिलाएं इस ढंग के विरुद्ध अपनी नौकरी हासिल कर सकीं। हमें स्थानांतरण की सुविधा नहीं मिल रही है, हालांकि कलकत्ता में रिक्तियां हैं। हालांकि यूनियन के नेता यह कहते हैं कि महिलाओं को आगे आकर यूनियन के काम-काज में सक्रिय हिस्सा लें, लेकिन वास्तव में श्रमिक संघों में महिलाओं की भागेदारी बहुत कम है। हमने यह भी देखा है कि जहां महिलाएं सक्रिय हैं, व यूनियन के कामकाज में रुचि लेती हैं, वहां भी वे यूनियन में पुरुष सदस्यों के समान, अपना सही स्थान नहीं पा रही हैं। एक लम्बे संघर्ष के बाद हमारी केवल एक महिला यूनियन की पदाधिकारी है। उन्होंने अपने भाषण का अन्त इस अपील के साथ किया कि सीटू यूनियन महिलाओं की समस्याओं का खयाल करेगी, तथा उनकी मांगें मनवाने के

लिए संघर्ष की शुरुआत करेंगी।

हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स की मणि मेखला ने कहा कि जहाँ तक एल. टी. सी का प्रश्न है, वहां कोई समानता नहीं है। पुरुषों को मिलनेवाली 'इंट्रस्ट सब्सिडी' महिलाओं को नहीं मिलती यदि उनके पति भी वही काम करते हैं। यह दोनों को अलग-अलग मिलनी चाहिए, क्योंकि वे दोनों अलग-अलग कर्मचारी हैं। गर्भावस्था अवकाश 90 दिन का न होकर केवल 84 दिन का है। आंध्र प्रदेश की कॉ० पद्मिनी ने कहा कि यदि बच्चा बीमार हो तो विशेष छुट्टी का प्रबन्ध होना चाहिए। पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध नहीं हैं, तथा स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति स्टाफ के लिए नहीं है।

के जी एफ की शीला मोसज ने कहा कि यद्यपि 80 महिला कर्मचारी हैं, लेकिन कोई शिशु सदन नहीं है। शिशु-भत्ते के रूप में केवल 75 रु. दिये जाते हैं। कोई कर्मचारी संघ महिलाओं को समितियों में नहीं लेते नहीं उनसे मशविरा किया जाता है। गृह-विहीन महिलाओं को एल टी सी छूट नहीं दी जाती।

बी ई एल की अम्बिका लक्ष्मी ने महिला-वेलफेयर अधिकारी की आवश्यकता बताई, जो महिलाओं के हितों की बेहतर ढंग से रक्षा कर सकती है।

कोचीन शिपयार्ड से साथी ने सदस्यों को बताया कि प्राप्त सुविधाओं को बनाए रखना भी एक समस्या है। यहां महिलाएं बड़ी संख्या में हैं।

तमिलनाडु की कृष्णाबाई ने, जो कि बी एच ई एल में काम करती हैं, कहा कि महिलाओं के आश्रितों के साथ ठीक व्यवहार नहीं होता तथा उन्हें निम्न स्तर का काम दिया जाता है। पुरुषों के लिए छह वर्ष की ट्रेनिंग है, व महिलाओं के लिए मात्र दो वर्ष की ट्रेनिंग होती है।

'हिन्दुस्तान फोटो फिल्म' की सदस्या ने भी गर्भावस्था अवकाश देने के मामलों में अनियमितता की बात की।

एच सी एल अस्पताल से का० पूर्णिमा सेन गुप्ता ने कहा कि पब्लिक सैक्टर में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है लेकिन एच सी एल में महिलाओं की संख्या नगण्य है, कोई महिला कर्मचारी फैक्ट्री में मशीन पर काम नहीं कर सकती। सरकार की निजीकरण की नीति के कारण कर्मचारी शोषण का शिकार हो रहे हैं। पुरुष कर्मचारियों को अपने आश्रितों के लिए भी चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन महिला कर्मचारियों के लिए ऐसा नहीं है।

बी एच ई एल, मैसूर श्यामला बैप्टिस्ट ने प्रबन्धकों द्वारा दफ्तरों में बरते जाने वाले भेद-भाव की आलोचना की। जिन महिलाओं के पति भी उसी फैक्ट्री में काम करते हैं उन्हें एल टी सी व चिकित्सकीय सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। क्या महिलाओं को अपने अभिभावकों के लिए सुविधाएं मांगने का अधिकार नहीं हो सकता?

'दुर्गापुर ठेकेदार कर्मचारी' की का. गौरी बोस ने ठेकेदारों के अंतर्गत काम की परिस्थितियों की चर्चा की। महिलाएं भारी संख्या में हैं, उनका शोषण किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारा महत्वपूर्ण हिस्सा जन-जाति व पिछड़े वर्गों में से है। ठेके पर काम करने वालों के साथ मानवोचित व्यवहार नहीं होता, उन्हें पुरुष कर्मचारियों से कम पैसे दिये जाते हैं।

का. पार्वती ने भी अपने विचार व्यक्त किये व कहा कि महिलाओं की उपादेयता केवल खाना बनाने व घरों की देखभाल करने में ही समझी जाती है।

विमान परिचारिका संघ की महासचिव आशा मुलगाओंकर विमान परिचारिकाओं के साथ वर्षों से हो रहे खुले भेद-भाव की विस्तार से चर्चा की। नौकरी में समानता तथा सेवा-निवृत्ति की उम्र बढ़ाकर 58 वर्ष करने की मांगें अभी तक नहीं मानी गयी हैं।

का. दीपाली बोस ने शिकायत की कि यूनियनें सम्मेलन में महिलाओं की भागेदारी के बारे में सही कदम नहीं उठा रही हैं। महिलाओं को तकनीकी व मशीनी काम करने के मौके नहीं मिलते। क्या आप कल्पना कर सकती हैं कि स्टील यूनियन में कोई महिला पदाधिकारी नहीं है।

का. नीलिमा राय ने अपने बैंक में काम की परिस्थितियों व महिलाओं के साथ होने वाले भेद-भाव का जिक्र किया। उन्होंने काम में बाधा पहुँचाने वाली, समाज व श्रमिक संघों की बुर्जुआ प्रवृत्तियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह सच है कि महिलाओं की समस्याएं यूनियन पदाधिकारियों की मीटिंग की विषय सूची में बहुत कम स्थान पाती हैं। इसी बुर्जुआ प्रवृत्ति के कारण हमारी कार्यकर्ताओं को श्रमिक संघों अथवा एग्जीक्यूटिव में उदासीनता से लिया जाता है। महिलाओं से अपील की कि वे अपने अधिकारों के प्रति दृढ़ रहते हुए संघर्ष करें व सफलता प्राप्त करें। इनके अतिरिक्त बी ई एल की अमस्था खासी, एच सी एल की प्रसन्ना सेन गुप्ता भी इस

अवसर पर बोलीं।

सीटू की उपाध्यक्ष का. अहिल्या रांगनेकर ने बहस का समापन किया। उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्र के इस सम्मेलन ने आगे आने और संघर्ष छेड़ने का आह्वान किया है। सरकारी क्षेत्रों में निजीकरण जारी है महिला कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। उन्होंने अपनी समस्याओं पर बहुत अच्छी तरह से विचार किया, सरकारी क्षेत्रों में भी शिशु-सदन नहीं हैं। उन्होंने सभी उपस्थित सदस्यों से आगे आकर अपनी मांगों के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया।

रोहिणी चार ने विमान परिचारिकाओं के साथ होने वाले भेद-भाव के बारे में एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने सभी कर्मचारी संघों से 5 जनवरी 1991 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय को 'विरोध-तार' भेजने को कहा। एयर कॉर्पोरेशन-कर्मचारी संघ, बम्बई, में स्थानीय सचिव आर. रामदासन ने प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

उठाये गये मुद्दों, तथा सरकारी क्षेत्र में महिलाओं की समस्याओं पर घोषणा पत्र पढ़ा गया व उसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। यह भी बताया गया सम्मेलन समाप्त होने से पहले सरकारी क्षेत्र की समिति में 10-12 महिलाओं को लिया जायेगा। अध्यक्षमंडल की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव के बाद सम्मेलन 'कामगार महिलाएं जिन्दाबाद' के नारों के साथ समाप्त हुआ।

"सांप्रदायिक माहौल के विरूद्ध कार्यसमिति का गठन"

आठ राष्ट्रीय महिला संघों व उनकी दिल्ली इकाइयों की एक बैठक वाई. डब्ल्यू. सी. ए. में 28-11-90 को साम्प्रदायिकता के विरुद्ध प्रचार के बारे में विचार-विमर्श के उद्देश्य से हुई, इसमें निम्नलिखित संस्थाओं ने भाग लिया—

1. ए. आई. डी. डब्ल्यू. ए. (अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ)

2. ए. आई. डब्ल्यू. सी. (ऑल इण्डिया वोमेन्स कॉन्फ्रेंस)

3. ए. आइ. सी. सी. डब्ल्यू. ए. (अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति)

4. सी. डब्ल्यू. डी. एस. (सेंटर फॉर वोमैन्स डैवलपमैंट स्टडीज)

5. एम. डी. एस. (महिला दक्षता समिति)

6. जे. डब्ल्यू. पी. (संयुक्त महिला कार्यक्रम)

7. एन. एफ. आई. डब्ल्यू. (महिलाओं का राष्ट्रीय फैडरेशन)

8. वाई. डब्ल्यू. सी. ए.

बैठक में पदयात्राओं, टैम्पो से प्रचार, दफ्तरों व अस्पतालों के दरवाजों पर सभाओं आदि के माध्यम से 15 दिन के संयुक्त प्रचार का फैसला लिया गया जिसके दौरान 11 लाख पर्चे सारी दिल्ली में वितरित किए जायें।

विभिन्न संस्थाओं ने शहर के विभिन्न हिस्सों में टैम्पो से प्रचार करने व पदयात्राएं करने का जिम्मा लिया। पूरे प्रचार के लिए 15,000/- रु० का अंतरिम बजट निर्धारित किया गया।

यह फैसला किया गया कि जो भी राष्ट्रीय संस्था, मोर्चे में सम्मिलित होना चाहेगी उसे सहयोग के तौर पर 2000/- रु० देने होंगे।

पता चला है कि इन संस्थाओं द्वारा अपनाये गये कार्यक्रम सफल रहे हैं। अगले अंक में विस्तृत रपट दी जायेगी।

मंदिर मस्जिद नहीं गिरेंगे, हिन्दू मुस्लिम एक रहेंगे

कालिंदी देशपांडे, दिल्ली

"बच्चा बच्चा इन्सान का, सारे हिन्दुस्तान का" "मन्दिर मस्जिद नहीं गिरेंगे—हिन्दू मुस्लिम एक रहेंगे" भाईचारा और देश की अखंडता बचाने का पैगाम लेकर देश के प्रमुख महिला संगठनों की कार्यकर्ता पिछले पन्द्रह दिन से दिल्ली की सड़कों पर उतरी थीं। जहाँगीरपुरी, त्रिलोकपुरी, मंगोलपुरी जैसी पुनर्वास बस्तियों में पदयात्राएँ की गयीं जहाँ सौ-डेढ़ सौ महिलाएँ माईक लेकर सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बस्ती की जनता से अपील करती हुयी, और पर्चे बाँटती हुयी गली-गली और बाजार-बाजार से गुजरती थीं। साथ-साथ भीड़ वाली जगह पर नुक्कड़ मीटिंगें भी करती थीं। पदयात्राओं के अलावा टैम्पो पर माईक लगाकर प्रचार किया गया, क्योंकि दिल्ली जैसे महानगर में केवल पैदल प्रचार करना तो असंभव ही है।

इस अभियान पर मिली प्रतिक्रिया मिली-जुली रही। आमतौर पर महिलाओं ने, खासकर मजदूर बस्ती की महिलाओं ने इस अभियान का पुरजोर समर्थन किया। 'हम तो मेहनत मजदूरी करके रोजी कमाते हैं, हमें क्या मतलब है मन्दिर मस्जिद से' एक औरत ने कहा। किसी दूसरी ने कहा, जो मुस्लिम थी, "मेरा आदमी रिक्सा चलाता है—आजकल उसके वापस आने तक मुझे भरोसा नहीं होता वे किस हालत में वापस आएगा। बताइये उसका क्या लेना देना है बाबरी मस्जिद से, कुछ लोगों ने बताया "हम मंहगाई से इतना परेशान हैं—उसके बारे में तो ये भड़काने वाले लोग सोचते नहीं हैं। ये तो फिजूल का सवाल उठाया गया है।"

एक बात स्पष्ट थी—आज हर इन्सान मन्दिर मस्जिद के सवाल पर सुनने के लिए उत्सुक था। हमने सांप्रदायिक संगठनों और भाजपा के मुख्य तर्कों का इतिहास, धार्मिक, मान्यताएँ, परम्परा, विरासत, आजादी का इतिहास आदि का आधार लेकर ठोस जवाब दिया—जिसकी हमें काफी हद तक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। मानवता की भावनाओं का भी आह्वान किया गया। जिसका अच्छा असर रहा। जहाँगीरपुरी में एक बारहवीं कक्षा का छात्र इतना प्रभावित हुआ कि पर्चों का एक पूरा बंडल उसने अपने स्कूलों में और इलाके में बाँटने के लिए मांगा। कनाट प्लेस में सेंट स्टीफन्स कालेज का छात्र भाषण सुनने पर कहने लगा। "आप हमारे कालेज में आकर इन्हीं बातों को कहिये न" और एक बात पर इस अभियान ने प्रकाश डाला, सांप्रदायिक आग राजनैतिक स्वार्थ के लिए जानबूझकर भड़काई जा रही है, इस बात पर अब किसी को भी सन्देश नहीं है—चाहे वह पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ मजदूर हो या अफसर।

दूसरी ओर इस अभियान का एक कटु अनुभव भी रहा। कुछ इलाकों में जैसे भोगल, सनलाईट कालोनी, करोलबाग, आदि भारतीय जनता पार्टी के गढ़ समझे जाने वाले इलाकों में बार-बार ये सुनने को मिला "आप तो मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं।" आप मुसलिम इलाके में जाकर समझाइयें या फिर 'हिन्दुओं को क्यों दबा रहे हैं" आदि। पार्लियामेंट स्ट्रीट पर तो कट्टर हिन्दुओं का एक गुट इतना आक्रामक था कि हमारे टैम्पो वहाँ खड़े रहने पर भी उन्होंने एतराज उठाया। और टैम्पो ड्राईवर के आगे न चलने पर एक दो थप्पड़ मारे और टैम्पो में बैठी कार्यकर्ताओं को अभद्र गालियाँ दी। प्लाजा थिएटर के सामने भी ऐसे ही एक कट्टर ग्रुप ने हमारी कार्यकर्ताओं को 'आवारा औरतें' कहा।

लेकिन इस तरह हमारी आवाज दबाने की कुछ लोगों की कोशिशों के बावजूद कार्यकर्ताओं की हिम्मत नहीं टूटी बल्कि आम जनता में भाईचारा, अमन, चैन और शान्ति के साथ जिन्दगी गुजारने की तीव्र इच्छा का जो एहसास इस अभियान के दौरान हुआ उससे "मन्दिर वहीं बनाएगें" वाले नारे के पीछे 70 करोड़ हिन्दू हैं, इस प्रचार का भ्रम पूरी तरह टूट गया।

एयर इंडिया के भेद-भाव के विरूद्ध संघर्ष के लिए विमान-परिचारिकाएं दृढ़-प्रतिज्ञ

रहीन खावबात, अध्यक्ष ए.आई.एच.ए.

16 अक्टूबर 1989 को भारत सरकार द्वारा विमान-परिचारिकाओं के साथ भेद-भाव समाप्त करने सम्बन्धी निर्देश जारी करने के बाद भी एयर इण्डिया में उन्हें परेशान किया जाना जारी है। दूसरी ओर 'इण्डियन एयर लाइंस' ने 3 दिन में ही, 19 अक्टूबर 1989 को निर्देश का पालन करते हुए, भेद-भाव समाप्त कर विमान परिचारिकाओं की लम्बे समय से चली आ रही समस्या समाप्त कर दी। हम तुरन्त सही फैसला करने के लिए इण्डियन एयर लाइंस प्रबन्धकों की प्रशंसा करते हैं।

दूसरी ओर इण्डियन एयर लाइंस के सहप्रबंध, एयर इण्डिया ने, जो कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय ध्वज वाहक है, निर्देश से उलट सरकुलर जारी कर विमान परिचारिकाओं के लिए स्थितियाँ बद से बदतर कर दी हैं। एयर इण्डिया की विमान परिचारिकाएं, प्रबंधकों के निर्दयतापूर्ण रवैये से दुखी व क्रोधित हैं तथा उन्होंने अब कोई ठोस कदम उठाने का फैसला कर लिया है।

यद्यपि अपने पुरुष साथी कर्मचारियों के साथ समानता के लिए उनका संघर्ष कई वर्षों से चल रहा है लेकिन उन्होंने पहला बड़ा कदम 7 जनवरी 1991 को विरोध सभा आयोजित करके उठाया। कॉ० एम. के. पांधे के मार्गदर्शन तथा एयर कॉरपोरेशन कर्मचारी संघ, इण्डियन एयर लाइन्स होस्टेसज व पर्सज, जनवादी महिला समिति, श्रीमती कालिन्दी देशपांडे, श्रीमती इन्द्रानी मजूमदार, सी. पी. एम. के सांसद सुकोमल सेन, सुश्री मालिनी भट्टाचार्य, सुश्री सरला माहेश्वरी, श्री नारायण कार, के समर्थन ने विमान परिचारिकाएं एकत्र हुईं। उनमें से कुछ को 7 तारीख को दिल्ली पहुचने के लिए लम्बी विमान यात्राएं करनी पड़ीं। थकान तथा सर्दी के मौसम के बावजूद उन्होंने दिखा दिया कि प्रबन्धकों के कठोर व बुर्जुआ रवैये को स्वीकार नहीं करेंगी तथा सरकार से हस्तक्षेप की मांग की।

ए. आई. एच. ए. की महासचिव सुश्री आशा मुलगाओकर ने विमान परिचारिकाओं के संघर्ष की पृष्ठ-भूमि के बारे में कहा तथा वर्तमान स्थिति के बारे में भी समझाया। इसके बाद सभा को तीनों सांसदों ने सम्बोधित किया व उन्हें प्रोत्साहित करते हुए हर संभव सहायता देने की बात कही।

सी. पी. एम. के सांसद वासुदेव आचार्य ने शाम 5.45 बजे प्रधानमंत्री से एक भेंट का प्रबन्ध किया। वह सुश्री मालिनी भट्टाचार्य, कॉ० पंधे, तथा जनवादी महिला समिति, दिल्ली, के साथ ही डैलीगेशन के साथ प्रधान मंत्री को ज्ञापन देने व एयर प्रबन्धकों पर सरकारी निर्देश के पालन हेतु दबाव डालने को कहने गये।

अगली सुबह, 8 जनवरी 1991 को 9.30 बजे कॉ० एम. के. पांधे तथा ए. आई. एच. ए. तथा ए. सी. ई. यू. के प्रतिनिधि याचिका समिति (राज्य सभा) के चेयरमैन से मिले, जो कि एयर इण्डिया में महिलाओं की काम करने की परिस्थितियों की जाँच करने के लिए बम्बई आये थे। एयर इण्डिया ने कुछ महिलाओं को एकत्र करके उनके सामने प्रस्तुत कर दिया था।

समिति पर ऐसा जाहिर किया गया था कि उनमें से कुछ महिलाएं विमान-परिचारिकाएं थीं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। जब इन महिलाओं से विमान-परिचारिकाओं की कार्य स्थितियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे इनसे सन्तुष्ट हैं। चेयरमैन इस बात को जानकर गुस्से में हैं व इस पर सहमत हैं कि रपट तैयार करने से पहले विमान-परिचारिकाओं की बात सुनी जाए।

उसी दिन 2.30 बजे श्री समर मुखर्जी, नागरिक उड्डन, राज्य मंत्री श्री हरमोहन धवन से मिले। उन्हें विमान परिचारिकाओं की समस्याओं व सरकारी निर्देश के उल्लंघन का महत्व समझाया। प्रतिनिधियों के तर्क सुनने के बाद उन्होंने, प्रतिनिधियों व मत्रालय के अधिकारियों से इस विषय में बात-चीत करनी चाही। चूंकि उस दिन मंत्री महोदय के पास पर्याप्त समय नहीं था

[शेष पृष्ठ 24 पर]

'श्री कालवी इस्तीफा दें'

7 दिसम्बर को विभिन्न महिला संघों की स्वयं सेवकों ने साउथ ब्लॉक, प्रधानमंत्री कार्यालय पर एक आकस्मिक धरना दिया। धरना कल्याण सिंह कालवी को कैबिनेट से निकालने की मांग पर जोर डालने के लिए दिया गया। श्री कालवी सती प्रथा के समर्थक हैं।

ये स्वयंसेवक सुरक्षा कर्मियों को आश्चर्यचकित करते हुए समूहों में पहुचीं। इन लोगों ने अपने शॉलों में श्री कालवी को कैबिनेट से निकालने की मांग करने वाले पोस्टर छिपाए हुए थे, जिन्हें उन्होंने साउथ ब्लॉक पहुंचने पर निकाला। महिला संघ की प्रतिनिधि दस दिन से प्रधानमन्त्री से मिलने का प्रयास कर रही थीं, पर प्रधानमन्त्री के मिलने से इनकार करने पर उन्हें यह धरना देना पड़ा।

धरने का आयोजन कामकाजी महिलाओं की राष्ट्रीय समन्वय समिति, अखिल भारतीय लोकतान्त्रिक महिला संघ, सेंटर फॉर वोमेन्स डेवलपमेंट स्टडीज, संयुक्त महिला कार्यक्रम, भारतीय महिलाओं की राष्ट्रीय फेडरेशन, महिला दक्षता समिति, तथा यंग वोमेन क्रिश्चियन ऐसोसिएशन ने संयुक्त रूप से किया।

बाद में सात संस्थाओं की प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय में एक ज्ञापन दिया, जिसमें श्री कालवी को तीन प्रकार से दोषी ठहराया गया है। एक: संविधान के लिंग समानता के प्रावधान की अवमानना। दो: सती-प्रथा को महिमामंडित करने के कारण, सती निरोधक अधिनियम, भाग II के आर्टिकल 5 के अन्तर्गत उन पर मुकदमा चल सकता है। तीन: उन्होंने 1951 के जन प्रतिनिधित्व कानून के आर्टिकल 43 की भावना का हनन किया, जो महिलाओं पर अत्याचार के अपराध में गिरफ्तार किये गये किसी भी व्यक्ति को अयोग्य घोषित करता है। ज्ञापन के अनुसार 4 सितम्बर 1987 को रूप कंवर के सती होने के बाद कालवी ने ही इस प्रथा के समर्थन में उस पतनोन्मुख आन्दोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। वह उस धर्मरक्षा समिति के एक प्रमुख सदस्य थे, जिसने इस उद्देश्य के लिए लाखों रुपये एकत्र किये थे। कई मौकों पर कालवी ने इस प्रथा के समर्थन में भाषण दिए। प्रमाण के तौर महिला संस्थाओं, डैकन हैराल्ड, द हिन्दुस्तान, टाइम्स ऑफ इंडिया, तथा अन्य अखबारों की अक्टूबर 1987 की प्रतियां भी संलग्न कीं। इन संस्थाओं ने यह भी कहा कि वे उन भाषणों के टेप भी प्रधानमन्त्री के समक्ष जब वे कहें, प्रस्तुत कर सकती हैं।

ज्ञापन के अनुसार, तत्कालीन कांग्रेसी राजस्थान सरकार ने अपनी अवसरवादिता के कारण, कालवी की गिरफ्तारी की देशव्यापी मांग के बावजूद उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की थी। अब वही कैबिनेट का सदस्य भी बना दिया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि इससे यह प्रकट होता है—"कि ऐसे लोग पुरुष्कृत होने की उम्मीद भी रख सकते हैं।" ज्ञापन में खासतौर पर पूछा गया है कि—"क्या हम यह समझें कि महिलाओं के जीवन अधिकारों व सम्मान की सुरक्षा इस सरकार के लिए कोई महत्व नहीं रखती ?" इसके अनुसार यह सब महिलाओं के अधिकारों के विरुद्ध है, अतः इसमें श्री कालवी को वर्तमान ओहदे से हटाने की मांग की गयी है।

इन लोगों ने अपना धरना तभी समाप्त किया जब प्रधानमन्त्री के राजनीतिक सचिव ने यह आश्वासन दिया कि प्रधानमन्त्री कुछ ही दिनों में उनके प्रतिनिधियों से मिलेंगे।

विरोध-तार

प्रति—

नागरिक उड्डयन मन्त्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।	चेयर मैन व मैनेजिंग डायरेक्टर, एयर इण्डिया, नरीमन प्वाइंट, बम्बई-400021

हम एयर इंडिया विमान परिचारिकाओं के साथ सेवा निवृत्ति की उम्र, यात्रा सेवा, भविष्य में विकास, सेवा निवृत्ति मेडिकल आदि के मामले में लगातार हो रहे भेद-भाव की भर्त्सना करते हैं। इण्डियन एयर लाइंस में चिकित्सकीय जांच के विशेष नियमों के खिलाफ एयर-इण्डिया व इण्डियन एयर लाइंस की विमान परिचारिकाओं के संघर्ष, व पुरुष सहकर्मियों के समान व्यवहार की मांग का समर्थन करते हैं।

महासचिव,
एयरइण्डिया विमान परिचारिका संघ
ए० सी० ई० यू० कार्यालय,
विमान भवन, पुराना हवाई अड्डा,
सांताक्रूज (ई) बम्बई-29

"अखिल भारतीय आंगनवाड़ी महिला फैडरेशन संगठित संघर्ष का आह्वान करती है"

"आई सी डी एस सारे विश्व में महिलाओं व बच्चों के लिए एकमात्र योजना है।" ऐसा राजीव सरकार के सचिव ने संसद में गर्व के साथ कहा था। लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायकों के अनेक भाषणों से एक अलग ही कहानी सामने आती है। गांवों की फटेहाल महिलाओं व लड़कियों ने हिम्मत के साथ मंच पर आकर अपनी दुर्दशा का वर्णन किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का अखिल भारतीय सम्मेलन 5-6 जनवरी को उदयपुर, बी. टी. आर. नगर (टाउन हॉल) में हुआ। तैयारी समिति को उद्घाटन, रैलों व जन सभा के लिए राजस्थान से हजारों महिलाओं के आ जाने के कारण अपना कार्यक्रम बदलना पड़ा था।

सदस्यों की हिम्मत

उदयपुर में तापमान शून्य से दो डिग्री कम था सौभाग्य से सूर्य ने सदस्यों की सहायता की। दक्षिण से आने वालों को दो-तीन बार गाड़ियां बदलने, कड़ी सर्दी, आदि के कारण केवल आठ राज्यों से ही सदस्य आये। संभवतः ऊपर लिखे कारणों से ही तमिलनाडु व आंध्र-प्रदेश से सदस्य नहीं आये। केरल (नवम्बर 14) से लोगों को आने में चार दिन की यात्रा व हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। पंजाब से 27 सदस्य आये, इस पर कोई भी लोकतांत्रिक व्यक्ति; जो अपनी आवाज उठाने के प्रति सचेत है; गर्व कर सकता है। विशेष बसों की सुविधा भी नहीं थी तथा वे बहुत खर्चीली भी थीं अतः सदस्यों को रेल व बसों से बहुत अधिक समय लगाकर आना पड़ा। जिस बस में सदस्याएं आ रही थीं उसी में आतंकवादियों ने दो लोगों की हत्या कर दी, जिससे एक सदस्या घबराकर बेहोश हो गयी व उसे उदयपुर आकर अस्पताल में दाखिल कराया गया। वह लगातार यही चिल्ला रही थी कि उसके अभिभावकों का क्या होगा। लेकिन उसका मनोबल इतना ऊंचा था कि उसने माइक हाथ में लेकर जुलूस में नारे लगाये। पंजाब जुलूस के शीर्ष पर होने के कारण जुलूस का आकर्षण था। उन्होने हिम्मत का प्रदर्शन किया और वे आयें। केरल से आने वाला सदस्य दल एक गलत डिब्बे में बैठ गया, लेकिन सौभाग्य से उन्हें अपनी गलती का अहसास हो गया और वे सही डिब्बे में आ गए। वह बोगी जोधपुर गई। पांडिचेरी का छोटा सदस्य दल मद्रास से होता हुआ आया। पश्चिम बंगाल का सदस्य दल दो भागों में आया। महाराष्ट्र का 28 सदस्यीय दल उदयपुर और चन्द्रपुर से दो बार गाड़ी बदल कर दो दिन में पहुंचा। राजस्थान के 40 सदस्य तो पहले से ही वहां थे। अन्य राज्यों ने भी छोटे-छोटे सदस्य दलों के माध्यम से भाग लिया। कुल मिलाकर 148 सदस्य थे।

उदयपुर में सजावट

एक दिन पहले संवाददाता सम्मेलन होने के कारण स्थानीय व जयपुर के समाचार पत्रों में कार्यक्रम को अच्छा स्थान मिला। सीटू की उदयपुर इकाई, एस. एफ. आई., डी. वाई. एफ. आई., जे. एम. एस. तथा अन्य लोगों ने पूरे उदयपुर में झंडे लगाने के लिए दिन-रात काम किया। विभिन्न संस्थाओं के नाम पर 7-8 गेट थे, जो आने वाले सदस्यों का स्वागत कर रहे थे। सी. पी. एम. की जिला समिति व सचिव स्टेशन पर थे, व उन्होंने सदस्यों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा। उन्हें कड़ाके की सर्दी में रजाई-गद्दे मुहैया कराये गये। अच्छे इन्तजाम और केन्द्र व जिला सीटू के बीच तालमेल के कारण सभी कार्यक्रम निर्विवाद रूप से सफल रहे।

तैयारी समिति की बैठकें

12 बजे तैयारी समिति की मीटिंग का. भावतोष राय की अध्यक्षता हुई जिसमें का. विमल रणदिवे व का. रंजीत बसु ने सीटू सचिव मंडल (केन्द्र) में चर्चित कार्यक्रम को रखा। मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद खुला अधिवेशन आरंभ हुआ। अध्यक्ष मंडल में का. आरती दास गुप्ता (प. बं.), का. सुरेन्द्र कौर (पंजाब), का. वालीकुट्टी (केरल), का. पुष्पा शर्मा (राजस्थान), का.

निरुपमा चटर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल आंगनवाड़ी यूनियन की संस्थापक सदस्य हैं, शामिल थीं। का. बी.टी. रणदिवे के प्रति एक श्रद्धांजलि प्रस्ताव रखा गया जिन्होंने सदा महिलाओं के हित में आवाज उठायी तथा अप्रैल 1989 में हुए पहले आंगनवाड़ी सम्मेलन को सम्बोधित भी किया था। तब स्वागत समिति के चेयरमैन का. बी. एल. सिंगवी ने सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने अपने भाषण में यह आशा व्यक्त की कि सारे विचार-विमर्श से विशाल जन समर्थन बनेगा, जो न्यूनतम लाभ हासिल कराने में आएगा।

उद्घाटन

जब का. लक्ष्मी सहगल उद्घाटन के लिए आयीं तो खचाखच भरे हाल में उनका करतल ध्वनि से उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि महिला आंगनवाड़ी का विचार मूलतः का. बी. टी. आर. का था। उन्होंने एक जुझारू व शक्तिशाली फेडरेशन बनाने को कहा, ताकि ये शोषित महिलाएं कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक महिला को शहीदी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने महिलाओं के पिछड़ेपन के बारे में बताया कि कैसे कांग्रेसी व सरकारों के राज्य में बच्चे कष्ट उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम कोई मन्दिर बनाने की मांग नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ी-सी तनख्वाह चाहिए, जिसमें हम रह सकें—लेकिन यह मांग भी पूरी नहीं हो रही है। जब तक हम अखिल भारतीय स्तर पर अपनी फेडरेशन नहीं बनाते, हम अपनी मांगें पूरी करवाने में सफल नहीं हो सकेंगे।

प्रमुख अतिथि, का. छाया बेरा

पश्चिम बंगाल की राहत राज्यमंत्री का. छाया बेरा ने अपने प्रेरणादायक भाषण में ऐसे कई मामलों का जिक्र किया जिनमें वह शोषित महिलाओं के प्रति बंगाल सरकार के सहानुभतिपूर्ण रवैये के कारण उनकी सहायता कर सकती थीं। उन्होंने राणा प्रताप के गौरवमय देशभक्तिपूर्ण समय का उल्लेख किया और राजस्थान सहित देश भर की सांप्रदायिक व सामाजिक-आर्थिक स्थिति का भी जिक्र किया। यहां महिलाओं में साक्षरता सबसे कम है। 4 सितम्बर 1987 को देवराला में हुआ शर्मनाक सती कांड; जिसमें रूपकुंवर की हत्या कर दी गयी थी; याद रहेगा। का. छाया ने कहा कि यही नहीं श्री कल्याण सिंह कालवी, जिन्होंने इस शर्मनाक प्रथा का समर्थन किया, चुनाव जीते और उन्हें चन्द्रशेखर सरकार ने मंत्री बनाकर पुरस्कृत भी किया गया।

उन्होंने कहा कि 14 नवम्बर को 'यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे' घोषित किया गया, तभी कहा गया था कि—'प्रसन्न बचपन—देश का बड़प्पन'। लेकिन सबसे अधिक 'शिशु-मृत्यु-दर' हमारे देश में है। महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए कई विधान पास गये। 33.10 करोड़ महिलाओं में से 25 करोड़ गरीबी की रेखा से नीचे रह रही हैं। कामगार लोगों में महिलाएं केवल 13.3% हैं। उन्होंने कहा कि छपी हुई रिपोर्टों के अनुसार पिछले पांच वर्षों में 2 लाख महिलाएं वेश्यावृत्ति के लिए बाध्य हुई, जिसके बाद वेश्या-वृत्ति में रत महिलाओं की संख्या बढ़कर 13 लाख हो गयी।

और आंगनवाड़ी? हमारी जानकारी के मुताबिक आई. सी. डी. एस. के पास 4688 परियोजनाएं हैं। यदि वे सुचारू रूप से काम करें तो उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके बाद का. छाया ने श्रमिक संघों द्वारा सामान्यतः कामकाजी महिलाओं की समस्याओं को नजर-अन्दाज किये जाने की बात उठायी। इस सम्बन्ध में उन्होंने श्रमिक संघों को का. बी. टी. आर. द्वारा दिये गये मार्ग-दर्शन का उल्लेख किया। उन्होंने बुर्जुआ मनोवृत्ति छोड़ने और लोकतांत्रिक संघर्ष की मुख्यधारा में महिलाओं को शामिल करने को कहा।

भाषण का हिन्दी अनुवाद का. मधु सेठिया ने किया। एस. एफ. आई. के महासचिव का. पालीवाल ने सम्मेलन को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह एस. एफ. आई. है जिसने संघर्ष का समर्थन किया और यूनियनों के गठन में सहयोग दिया। ए. आई. डी. डब्ल्यू. ए. की का. सुमित्रा चोपड़ा ने जे. एम. एस. में शामिल होने की अपील की और साथ ही आंगनवाड़ी के प्रति पूरा समर्थन भी व्यक्त किया। जनवादी लेखक संघ की ओर से बृजेन्द्र कौशिक ने संगठन का स्वागत करते हुए सदस्यों का स्वागत किया।

आंगनवाड़ी में कार्यरत दो अन्य फेडरेशनों; जिन्हें तैयारी समिति ने विशेष रूप से आमन्त्रित किया था; सदस्यों को शुभ कामनाएं दीं। अखिल भारतीय कामगार यूनियन के चेयरमैन श्री बी. के. प्रसाद ने बताया कि उन्हें अपनी मांगें मनवाने के लिए कितने वर्ष संघर्ष करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि वे अन्य संगठनों के साथ 1 फरवरी

को बोट क्लब पर एक धरना देने जा रहे हैं। इसके बाद हम संसद पर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन में एक लाख महिलाओं को लाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार को बराबर काम के बदले बराबर पैसा देना ही चाहिए। का. बी. टी. आर. के कार्य का उल्लेख करते हुए हमें महिलाओं के काम पर अधिक ध्यान होगा। लेकिन आंगनवाड़ी में यह नहीं हो रहा है। उन्होंने आंगनवाड़ी में कार्यरत सभी यूनियनों से मिलकर काम करने की अपील की।

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की ओर से बोलते हुए सदस्यों को शुभकामनाएं दीं और पूरे सहयोग का वादा किया। का. रजीत बसु ने सीटू की ओर से सदस्यों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने अपने भाषण का आरंभ का. बी. टी. आर. को श्रद्धांजलि देते हुए किया, जिनकी प्रेरणा से आज हम यहां पर यह सम्मेलन कर रहे हैं। उनका शुरू किया हुआ काम सही तरीके से पूरा होना ही चाहिए। साम्प्रदायिकता की ओर मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि आज जब कानपुर, पंजाब, कश्मीर, असम आदि स्थानों पर दंगे हो रहे हैं, तब इनमें साम्राज्यवादी हाथ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने आशा व्यक्त की कि देश व उससे बाहर की राजनैतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, फैडरेशन देश में सभी लोकतांत्रिक शक्तियों को एक करने का कार्यक्रम अपनायेगी।

का. विमल रणदिवे ने संचालन समिति व प्रत्यायक समिति के सदस्यों के नाम पढ़े। पहला सत्र 4 बजे सायं, समाप्त हुआ और रैली आरम्भ हुई। का. सत्यनारायण की कविता पुस्तक का उद्घाटन सांसद सरला माहेश्वरी ने किया व लेखक ने कामकाजी महिलाओं पर एक गीत गाया।

काम की रिपोर्ट

दूसरे सत्र का आरंभ तैयारी समिति की कनवेनर का. विमल रणदिवे द्वारा रिपोर्ट रखने के साथ हुआ। रपट हिन्दी व अंग्रेजी में वितरित की गयी। उन्होंने दक्षिण से सदस्यों के सम्मेलन में न पहुंच सकने पर खेद व्यक्त किया जिसका कारण सम्भवतः सर्दी का मौसम रास्ते की दिक्कतें थीं। उन्होंने का. बी. टी. आर. को श्रद्धांजलि अर्पित की जो कि महिलाओं व सभी मेहनतकश लोगों के समर्थक थे। हर कदम उनका मार्गदर्शन लाभदायक था, वह हमारे पास नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि उन्होंने पहले सम्मेलन को संबोधित किया था और हमें अन्य सभी यूनियनों और संघों की फैडरेशन बनाने का सुझाव दिया था। राष्ट्रीय परिस्थितियों की ओर आते हुए उन्होंने राम जन्म भूमि—बाबरी मस्जिद तथा मंडल आयोग के मुद्दों को लेकर, सांप्रदायिक व अतिवादी तत्त्वों द्वारा पैदा गंभीर खतरे के बारे में बताया। अनेक स्थानों पर कई महिलाओं, मजदूरों और बच्चों की हत्या कर दी गयी। हमारे लिए इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ हमारे आन्दोलन का बिखरना है। यह मजदूर वर्ग के आधारों को नष्ट करता है। हमें साम्राज्यवाद की भूमिका को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने प्रमुख रूप से आंगनवाड़ी महिलाओं की स्थिति पर बात की, जो समाज का सर्वाधिक शोषित तबका है उन्हें 225-275 रु. तथा 110 रु. प्रतिमाह मिलते हैं व उनकी स्थिति दयनीय है। यूनीसेफ, यू. एस. ए. आई. डी. तथा सी. ए. आर. ई. आदि द्वारा केन्द्रीय रूप से यह योजना प्रायोजित की गयी। महिलाओं को सामाजिक-कार्यकर्ता कहा जाता है, तथा उन्हें मानद राशि प्रदान की जाती है। इस योजना में 6 लाख से अधिक लोगों को काम दिया गया है। सुपरवाइजर व सी. डी. पी. ओ. एस. को असली लाभ मिल रहा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली महिलाएं लाभान्वित नहीं हो पा रही हैं।

इसके बाद उन्होंने महिलाओं के साथ छेड़खानी, धमकियों, सम्मेलन में शामिल होने के कारण पैसे काटने जैसी समस्याओं का जिक्र किया। भ्रष्टाचार अत्यधिक है और गर्भवती महिलाओं व बच्चों को मिलने वाला एरियल चुरा लिया जाता है। यदि मांग की जाती है तो जवाब नौकरी से निकालना होता है।

अखिल भारतीय फैडरेशन क्यों?

इन परिस्थितियों को बदलना पड़ेगा और इसी कारण अखिल भारतीय फैडरेशन की आवश्यकता है। इसके बाद उन्होंने अन्य फैडरेशनों के साथ संयुक्त कार्यक्रमों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी ने पूछा था कि आंगनवाड़ी क्या है? और कहा था कि यदि मानद-राशि बढ़ती है, तो महिलाओं की संख्या घटानी होगी। जब हम श्री वी० पी० सिंह के पास गये तो उन्होंने हमारी बातों को ध्यान से सुना लेकिन उस सरकार को हटना

पड़ा। जिसका कारण जनता दल में कांग्रेस द्वारा पैदा की गयी फूट थी। अब कांग्रेस समर्थित चन्द्रशेखर सरकार सत्ता में है, लेकिन कोई नहीं जानता कि यह सरकार कब तक रहेगी। जब तक महिलाएं फैडरेशन के अन्तर्गत, व अन्य संगठनों के साथ, एक बड़ा संघर्ष नहीं छेड़तीं कोई मांग पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने महिलाओं को याद दिलाया कि आंगनवाड़ी फेडरेशन कामकाजी महिलाओं का श्रमिक संघ होगा तथा अन्य जन संगठनों की सहायता व सहयोग से ही उसका संचालन होगा। इसके अलावा उन्होंने केरल व बंगाल की वाम-मोर्चा सरकारों की भूमिका की भी चर्चा की। महिलाओं ने अपने संघर्ष व सरकार की सहानुभूति पूर्ण रवैये के कारण बेहतर लाभ हासिल किये। अन्तर्राष्ट्रीय खेमों, व समाजवादी देशों में स्थिति खराब है। लेकिन हम समाजवाद में पूरा विश्वास रखते हैं, क्योंकि हमारे शोषण से मुक्ति पाने का यही एक उपाय है। अन्त में उन्होंने महिलाओं से अपनी मांगों के लिए जुझारू संघर्ष करने की अपील की।

इसके बाद सम्मेलन ने संस्था के संविधान पर विचार-विमर्श आरम्भ किया, जिस पर तैयारी समिति में संशोधनों सहित विचार हो चुका था। कॉ. बाब्तोष रॉय ने संविधान की एक-एक धारा के बारे में समझाकर, संशोधनों सहित सदस्यों के सामने रखा व फेडरेशन के स्वरूप के बारे में समझाया जिसका अपना झंडा होगा लेकिन अन्य श्रमिक संघों से सम्बन्ध रखने वाली यूनियनें भी उसमें शामिल हो सकती हैं। अन्त में यह फैसला किया गया कि झंडे में लाल पृष्ठभूमि पर सफेद अक्षरों में फेडरेशन का नाम अंकित होगा। सविधान व झंडे को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया।

सदस्यों के विचार

विभिन्न राज्यों से आए सदस्यों के बीच एक अच्छा विचार-विमर्श हुआ। केरल की कॉ० बालाकुटी ने मजदूरों की गतिविधियों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस (ई०) की ओर से हमें गर्भावस्था की सुविधायें नहीं मिलती थीं, लेकिन अपनी सरकार हमें दो बच्चों के लिए गर्भावस्था अवकाश प्रदान करती है।

जब हम लोग अपनी मांगें लेकर जाते थे तो सुपरवाइजर हमें मुअत्तल कर देते थे। हमने सघर्ष किया और गर्भपात की स्थिति में 42 दिन की छुट्टी की सुविधा हासिल की जिसके लिए इनकार किया जाता था। हमें त्यौहारों का भत्ता 45 रु० दिया जाता था, हमने संघर्ष करके 100/- रु० करवाया। सरकार ने आंगनवाड़ी की इमारत के लिए 50,000 रु० मंजूर किये हैं। अब मजदूरों व सहायकों को टी. ए व डी. ए. मिल रहा है। हम अधिक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे काम के घंटे एक दिन में 7.30 होते हैं, जिन्हें हम 5 घंटा कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अन्य राजनैतिक पार्टियों के 6 और सगठन भी हैं। वे उनके शोषण का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने संगठित कार्यक्रमों की अपील करते हुए अपने भाषण का अन्त किया, जिसका हिन्दी व अंग्रेजी में अनुवाद किया गया।

पंजाब से कॉ. प्रीति कुमारी—उन्होंने विभिन्न राज्यों की परिस्थितियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यद्यपि हम आतंकवाद से भयभीत हैं, लेकिन हमने ब्लाक स्तर की संस्थाओं का गठन किया है। हमने सुपरवाइजरों से मांग की कि किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मुअत्तल न किया जाए। हम और हमारा संगठन इतना मजबूत हो चुका है कि सी.डी.पी.ओ., सुपरवाइजर हमसे डरते हैं। राशन का वितरण कोटे से कम था, अब हमने यह काम अपने हाथ में ले लिया है। हममें 32 महिला कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजरों के रूप में पदोन्नत किया गया था, वे हमारे हित में संघर्ष कर रही हैं। हमें दो गर्भावस्था छुट्टियां दी जाती हैं, अब हम सरकारी कर्मचारियों के समान छह माह के गर्भावस्था अवकाश के लिए लड़ रहे हैं। पहले सी डी.पी.ओ. कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए रिश्वत लेता था। हमने इसके विरुद्ध संघर्ष किया तथा वह सी.डी.पी.ओ. मुअत्तल कर दिया गया उन्होंने कहा कि हम सब फेडरेशन का समर्थन करेंगे।

कॉ. मोनिका चक्रवर्ती (बंगाल) ने सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हम माँगों का समर्थन करेंगे, लेकिन हम मजदूरों के एक प्रतिनिधि तथा परियोजना पर एक सहायक की मांग चाहते हैं। हम राशन का समुचित वितरण करते हैं। हमें दूसरे और चौथे शनिवारों की छुट्टी मिलती है, अन्य दिनों में हम अधिक काम करते हैं। हमे दो बच्चों के लिए 90 दिन का गर्भावस्था अवकाश तथा गर्भपात के लिए 32 दिन का अवकाश मिलता है। मजदूरों व सहायकों का यात्रा-भत्ता मिलता है। जब से बंगाल में वाम मोर्चा सरकार बनी है, वहाँ हमारी तकलीफें सुनी जाती हैं।

मंगला (महाराष्ट्र) ने कहा कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों की स्थिति बहुत खराब है। सी. डी. पी. ओ. तनख्वाह के लिए घंटों इन्तजार कराते हैं। काम की सारी जिम्मेदारी हमारी है और यदि आंगनवाड़ी के लिए स्थान नहीं मिल पाता तो हमारी नोकरियां समाप्त कर दी जाती हैं। कुछ सहायकों को बिना यात्रा-भत्ते के लम्बी यात्राएं करनी पड़ती हैं। संघर्ष के बाद अब हमने दीवाली पर 7 दिन का अवकाश हासिल किया है। अब हमारी यूनियन को मान्यता दी जाती है। काम का बोझ बहुत बढ़ गया है, कुछ रोगियों का पंजीकरण, अशक्त लोगों, का पंजीकरण तथा मृत्यु-पंजीकरण आदि जो हमारे काम नहीं हैं, हमसे करवाये जाते हैं। यदि कोई सहायक कर्मचारी की अनुपस्थिति में काम करे तो उसे अधिक तनख्वाह मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता।

महाराष्ट्र से कॉ. शुबना ने कहा कि उन्होंने चन्द्रपुर में 15 अगस्त 1989 को अपना संगठन बनाया। 5000 कार्यकर्त्ताओं ने रैली में तथा 500 सदस्यों ने सम्मेलन में भाग लिया। हमने अखिल भारतीय मांग दिवस मनाया। ए.आई.डी.डब्ल्यू.ए. हमारी मांगों का का समर्थन करती है। दिल्ली में 8 सितम्बर की रैली में 2000 महिलाओं ने भाग लिया। महाराष्ट्र में अन्य यूनियनें भी हैं, लेकिन पैसा इकट्ठा करती थीं, मगर काम नहीं करती थीं। हमने अखिल भारतीय स्तर पर एक संस्था कायम की है। उन्होंने सदस्यों से बैनर-तले एक संयुक्त कार्यक्रम करने को कहा।

राजस्थान से कॉ. जसपाल कौर ने कहा कि राजस्थान में कई समस्यायें हैं, लेकिन मैं मुख्य रूप से दो का ही जिक्र करूंगी। परिवार नियोजन और स्वास्थ्य रक्षा का काम हमें क्यों दिया जाता है, जो डॉक्टर और नर्सें, 2000-3000 रु. या अधिक तनख्वाह पाते हैं, वे इस काम को क्यों नहीं कर सकते ? यदि हम इन कामों के लिए मना करें तो मुअत्तली की धमकी दी जाती है। यात्रा-भत्ते की सुविधा नहीं है और सरकार भी हमारी बात नहीं सुनती।

राजस्थान से ही कॉ. राजिर ने कुछ और मुद्दे जोड़े। इमारत व जगह के लिए अनुदान बहुत कम है। हमें त्यौहारों पर कोई छुट्टी या भत्ता नहीं मिलता।

राजस्थान की कॉ. निर्मला ने कहा कि हमें छह काम दिये जाते हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त भी हमें बहुत से काम करने पड़ते हैं।

पांडिचेरी की कॉ. मेरी और कॉ. उभा कार ने सदस्यों को सम्बोधित किया। उनके पास 5 परियोजनाएं हैं तथा 6000 केन्द्र व 1200 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। वे सभी सुबह नौ बजे से शाम 4 बजे तक काम करते हैं, लेकिन उनके साथ बधुआ मजदूरों जैसा व्यवहार किया जाता है। उन्होंने राजीव गांधी को ज्ञापन दिया था, जिससे कुछ भी नहीं हुआ। हमें अपनी मांगों के लिए एक साथ संगठित होकर संघर्ष करना चाहिए।

केरल से कॉ. जे. रॉस ने कहा कि केरल में भी सांप्रदायिक शक्तियां हैं, व इन गतिविधियों को रोकने की कोशिशें हो रही हैं। पंजाब की कॉ. निर्मला ने सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रस्ताव रखा, जिसका पांडिचेरी की कार्यकर्त्ताओं ने समर्थन किया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

अधिकतर वक्ताओं ने अपनी समस्याएं बयान कीं। इसके बाद कनवेनर विमल रणदिवे ने वक्ताओं द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर दिया तथा रिपोर्ट सर्वसम्मति से पारित हुई। इसके बाद उन्होंने फेडरेशन के कार्यक्रमों व अन्य संगठनों के साथ संयुक्त कार्यक्रमों, जिनके बारे में सम्मेलन में अन्तिम तौर पर विचार किया था; का कार्यक्रम रखा। उन्होंने विभिन्न राज्यों से मिले फंड की ब्यौरेवार जानकारी इस प्रकार दी :

पंजाब—2000/-, पांडिचेरी—500/- (बाकी राशि बाद में भेज दी जायेगी), उ० प्र० (ए.आई.डी.डब्ल्यू.ए.) 100/- रु., राजस्थान 1500/- रु., पश्चिमी बंगाल 3000/- रु., कुल 7500/- रुपये।

मूल्य-वृद्धि, सांप्रदायिक सद्भाव, त्रिपुरा, वाममोर्चा सरकार के बधाई प्रस्ताव के साथ-साथ, एक मांग-पत्र भी पारित किया गया। विमल रणदिवे ने घोषणा की कि त्रिपुरा फंड में 1000 रु० दिए जायेंगे, जिसका सदस्यों ने तालियों से स्वागत किया।

कॉ. निर्मला मित्रा ने मांग-पत्र रखा, जिसका समर्थन कॉ. एस. रोजी ने किया।

एक कार्यक्रम निर्धारित किया गया जिसमें 1. प्रत्येक राज्य में एक प्रतिनिधि मंडल, 2. सम्मेलन की रपट रखना, 3. सम्मेलन के बाद राज्यवार समितियों का गठन, 4. पूरे भारत में एक दिन की हड़ताल, 5. मांग-दिवस आदि बातें शामिल थीं। अन्य संगठनों के साथ

संयुक्त कार्यक्रम भी होंगे।

तत्पश्चात् कॉ. रजनी ने संविधान के अनुसार नयी समिति का प्रस्ताव रखा। प्रत्याचक समिति की रपट रखी गयी, जो सर्वसम्मति से पास हुई। विमल रणदिवे ने महिलाओं के संघर्ष पर एक खूबसूरत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी राजस्थान, जे. एम.एस. द्वारा तैयार की गयी थी। विभिन्न बानरों व नारों के साथ 5 तारीख की रैली आकर्षक रही। यह उत्साही नारों से परिपूर्ण थी। सीटू उपाध्यक्ष कॉ. के. वर्मा के नेतृत्व में जन सभा चली, जिसे कॉ. आर. शुक्ला (महा सचिव), कॉ. सिंधी (चेयरमैन, स्वागत समिति), लक्ष्मी सहगल, विमल, रणदिवे, सुरेन्द्र कौर, कॉ. छाया बेरा, (मन्त्री, बंगाल सरकार), कॉ. रंजीत बसु, (सचिव, सीटू) ने सम्बोधित किया। कॉ. शोपत सिंह (सांसद) तथा कॉ. सरला माहेश्वरी (सांसद) के भाषण सम्मेलन का आकर्षण थे, उन्हें अगले अंक में प्रकाशित किया जाएगा।

फेडरेशन समर्थक नारों के साथ सम्मेलन सम्पन्न हुआ। अध्यक्ष मंडल की ओर से कॉ. सुरेन्दर कौर ने सदस्यों को धन्यवाद दिया। उन्होंने राजस्थान समिति को उसके काम के लिए तथा रैली में आमंत्रित वक्ताओं को भी धन्यवाद दिया। अन्त में 'फेडरेशन जिन्दाबाद' के नारे के साथ सम्मेलन समाप्त हुआ।

मजदूरों व सहायकों की अखिल भारतीय आंगनवाड़ी फेडरेशन : समिति के पदाधिकारी

अध्यक्ष :	कॉ. विमल रणदिवे
कार्यकारी अध्यक्ष :	कॉ. बाब्तोष रॉय
महासचिव :	कॉ. नीलिमा मित्रा
उपाध्यक्ष :	कॉ. पुष्पा शर्मा
	कॉ. सरोजिनी बालानन्दन
	कॉ. निरूपमा चटर्जी
	कॉ. लक्ष्मी सहगल
सचिव :	कॉ. मधु सेठिया
	कॉ. सुरेन्दर कौर
	कॉ. ए. नक्सीमुनीजा
	कॉ. किरण मोगे
कोषाध्यक्ष :	कॉ. नीना राव

गर्भपात के लिए गर्भावस्था अवकाश की मंजूरी

अधोलिखित परिपत्र के अनुसार गर्भपात के लिए गर्भावस्था-अवकाश समाप्त करने संबंधी पिछला परिपत्र वापस ले लिया गया है। —संपादक

सभी शाखाएं/कार्यालयों का ध्यान परिपत्र संख्या पी. ई. आर. / मैन/परिपत्र सं० 12/90-91 दिनांक 30-7-90 की ओर दिलाया जाता है, जिसमें तत्काल प्रभाव से महिला कर्मचारियों को गर्भपात की अवस्था में गर्भावस्था अवकाश समाप्त करने की सूचना दी गयी है। अब आई. बी. ए., बम्बई ने अपने परिपत्र सं० पी. डी./एच. एन. एस./सी. आई. आर./76 एच (बी) 1962 दिनांक 21-11-90 के अनुसार महिला कर्मचारियों को यह सुविधा पुर्नस्थापित कर दी। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में महिला कर्मचारियों को गर्भावस्था अवकाश प्रदान करें—

1. गर्भावस्था अवकाश के लिए दिए जाने वाले प्रार्थना-पत्र के साथ मान्यता प्राप्त डॉक्टर का प्रमाण पत्र हो, जिसमें उल्लेख हो कि गर्भपात के परिणाम स्वरूप कितने दिन के आराम की आवश्यकता है।

2. अवकाश के बाद पुनः कार्य पर आने के समय उसी डॉक्टर द्वारा दिया गया स्वस्थता-प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए।

3. ऐसी स्थिति में अवकाश छह सप्ताह से अधिक नहीं होगा तथा ऐसा अवकाश (गर्भावस्था अवकाश सहित) कुल नौकरी में चार बार से अधिक न हो।

बैंक को प्रमाण-पत्र की वैधता के बारे में डॉक्टर से संपर्क करने का अधिकार रहेगा।

4. यह साबित होने पर कि इस सुविधा का दुरुपयोग किया गया है, सम्बंधित व्यक्ति पर उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

ऊपर लिखी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी महिला कर्मचारी ऐसे अवकाश के लिए आवेदन करते समय उपरोक्त बातों का ख्याल रखेंगी। यह परिवर्तन तत्काल प्रभाव में आ जायेगा।

अधोहस्ताक्षरी
बी. वेंकटेश्वरन,
सहायक जनरल मैनेजर

4 मार्च को दिल्ली रैली में शेखर सरकार से दो-दो हाथ करेंगे
रेवदर आंगनवाड़ी सम्मेलन में सीटू प्रदेशोपाध्यक्ष का आह्वान

आंगनवाड़ी कामगार यूनियन का पूर्व घोषित सिरोही रेवदर सम्मेलन कल यहां चोदरा माता मन्दिर परिसर में श्रीमती कुसुम बैन के सफल संचालन और श्रीमती तारा बैन दौलत बानों, भारती शर्मा के अध्यक्ष मंडल की अध्यक्षता से सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में जीरावली, रेवदर, पिण्डवाड़ा, दोलपुरा, गुलाबगंज, दांतराई, सोरडा, सनवड़ा, मंडार, अनदरा, रानाडी, अनापुर, भटाना, देरोल आदि जिला सिरोही की सैकड़ों आंगनवाड़ी कामगारों ने अपना प्रतिनिधित्व किया। सम्मेलन में जिला उदयपुर केन्द्र से यूनियन के महासचिव का० बी. एल. छानवाल और कार्यालय सचिव श्री रफीकुर्रहमान उपस्थित थे वहीं सी. आई. टी. यू. (सीटू) के प्रदेश उपाध्यक्ष का० आयलदास पी. एल. सागर, सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। सम्मेलन में एक 17 सदस्यीय कार्यकारिणी का अनुमोदन भी किया गया। उक्त जानकारी देते हुए यूनियन की विज्ञप्ति में बताया गया कि सम्मेलन में आंगनवाड़ी कामगारों को स्थाई करने समेत बढ़ती हुई मंहगाई, भ्रष्टाचार और खाड़ी युद्ध पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए शांति प्रस्ताव पारित किये गये विज्ञप्ति के अनुसार सम्मेलन को यूनियन ने महासचिव का० बी. एल. छानवाल व कार्यालय सचिव रफीकुर्रमान तथा सी. आई. टी. यू. (सीटू) के प्रदेश उपाध्यक्ष का० आयलदास पी. एल. सागर सहित कई स्थानीय आंगनवाड़ी नेताओं ने सम्बोधित किया।

सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए जहां आं. का. यू. महा सचिव का० बी. एल. छानवाल व रफीकुर्रहमान ने फैडरेशन के फैसलों और प्रस्तावों से सम्मेलन को अवगत कराया वहीं सीटू की प्रदेश उपाध्यक्ष का० आयलदास पी. एल. सागर ने अपने मुख्य आतिथ्येयी भाषण में आंगनवाड़ी कामगारों की व्यापक लामबंदी को मजदूर आंदोलन का अभिन्न हिस्सा बताते हुए आंगनवाड़ी कामगारों के संदर्भ के हर मोड़ पर कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने का विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि देश की 53 फीसद काम की इच्छुक महिलाओं को रोजगार न देना और देश की सात लाख आंगनवाड़ी कामगारों को स्थाई न करना अब बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के अवसर पर आपकी केन्द्रीय फ़ैडरेशन के आयोजित 4 मार्च को लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की दिल्ली रैली में अन्य मजदूर संगठनों के साथ सीटू भी आपके सवालों को लेकर शेखर सरकार से दो-दो हाथ करेगी। उन्होंने दिल्ली रैली की जोरदार लामबंदी का आह्वान किया।

सम्मेलन में सर्वसम्मति से चुनी गई कार्यकारिणी में श्रीमती तारा बैन (जीरावली) को अध्यक्ष, श्रीमती मरियम बानो (मंडार), श्रीमती दौलत बानो (रेवदर) को उपाध्यक्ष, श्रीमती आशा शर्मा (भटाना) महा सचिव, श्रीमती भगवती जोशी, बानो बेगम को संयुक्त सचिव, श्रीमती रोशन बानो को कोषाध्यक्ष तथा श्रीमती छाया बारड (पिण्डवाड़ा) श्रीमती कुसुम बैन (पिण्डवाड़ा) को कार्यकारिणी का पदेन सदस्य बनाया गया है। शेष संतोष जोशी (दोलपुरा) प्यारी बाई (गुलाबगंज) कैलाशवती जोशी (अनापुर) आदि को कार्यकारिणी का सदस्य चुना गया है।

'दिल्ली चलो' रैली

4 मार्च 1991

बोट क्लब नई दिल्ली

आंगनवाड़ी मजदूर और हैल्पर्स मांग करते हैं :

1. मजदूरों को नियमित करो
2. न्यूनतम मजदूरी
3. प्रसूति के समय सुविधाएं दो आदि।

हजारों की तादाद में शामिल हों !

आंगनवाड़ी कामगार यूनियन तहसील गोगुंदा का सम्मेलन ग्राम सायरा में सम्पन्न

उदयपुर, 15 जनवरी/बाल विकास परियोजना गोगुंदा की आंगनवाड़ी कामगार यूनियन का गोगुंदा तहसील शाखा सम्मेलन कल ग्राम सायरा के प्राइमरी स्कूल में यूनियन संभाग महासचिव का. बी एल छानवाल व कार्यालय सचिव का. रफीकुर्रमान की निगरानी में हर स्तर पर संघर्ष के आह्वान के साथ सम्पन्न हुआ। जिसकी अध्यक्षता श्रीमती कंचन सेठ (गोगुंदा) श्रीमती प्रेम श्रीमाली (सायरा) श्रीमती सीता श्रीमाली (नान्देय मा) श्रीमती वनीता हरखावत (मजावद) के अध्यक्षमंडल ने तथा संचालन श्रीमती गोपी बारबर (गोगुंदा) ने किया। सम्मेलन में गोगुंदा परियोजनान्तंगत क्षेत्र सायरा, नान्देशमा, मजावद, रावलिया, बगडुन्दा, दुट्टी, हायला आदि विभिन्न हिस्सों की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं समेत क्षेत्र के सर्वश्री प्रेमशंकर श्रीमाली, रामदाद जी वैष्णव (अध्यापक) तथा सोहनलाल तलेसरा (वरिष्ठ कारकुन आई. सी. डी. एस.) आदि गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। सम्मेलन में गोगुंदा, सायरा, नान्देशमा आदि क्षेत्रों की एक संयुक्त एडहॉक कमेटी भी चुनी गई।

उक्त जानकारी देते हुए यूनियन की विज्ञप्ति में बताया गया कि सम्मेलन की तैयारियां व्यवस्थित रूप से महिलाओं ने स्वयं की थीं। सम्मेलन में अधिक से अधिक महिलाओं को लाने के लिए ढाणी-ढाणी जाकर महिलाओं द्वारा स्पर्धात्मक जन सम्पर्क किया गया तथा स्थान-स्थान पर हस्तलिखित श्याम पटों पर सम्मेलन की सूचना प्रसारित की गई थी। सुबह तड़के सम्मेलन के दो घंटे पूर्व सम्मेलन स्थल पर जत्थों के रूप में अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाते हुये पहुचना उल्लेखीय और उत्साहजन था।

विज्ञप्ति के अनुसार सम्मेलन में न केवल आंगनवाड़ी कामगारों को स्थाई करने व अन्य सरकारी कर्मचारियों के समान सुविधाएं देने पर चर्चा हुई बल्कि बढ़ती महगाई, भ्रष्टाचार व साम्प्रदायिकता के खिलाफ प्रस्ताव पारित किये गये। अमेरिका द्वारा एक तरफा युद्ध छेड़ने की ऐलानियत कार्यवाही की भर्त्सना समेत आंगनवाड़ी कामगारों की स्थानीय समस्याओं पर अनवरत संघर्ष के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

सम्मेलन का विधिवत् उद्घाटन करते हुए यूनियन के सभाग सचिव का. बी एल छानवाल ने अपने उद्भाषण में आंगनवाड़ी कामगारों के बीच संगठन के काम को आगे बढ़ाने पर जोर दिया तथा आग्रह किया कि आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को स्थाई करने के सवाल को अधिकार के तौर पर उठाना चाहिए। उन्होंने रहस्योद्घाटन किया कि आई सी डी एस का आंगनवाड़ी कामगार तबका ही एक ऐसा तबका है जिसके सिर विभाग का सर्वाधिक भार होता है जो आज भी अस्थाई चल रहा है, जबकि विभाग के आठ चेनलों में से ऊपर के सातों चेनल जिसमें स्टाफ समेत ड्राइवर व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक शामिल हैं, सबके सब स्थाई हैं।

सम्मेलन को यूनियन के कार्यालय सचिव का. रफीकुर्रहमान ने सम्बोधित करते हुए सरकार की महिलाघाती अर्थनीति की आलोचना की। उन्होंने बताया कि एक तरफ तो सरकार महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा करती है तो दूसरी तरफ 60 प्रतिशत महिलाओं से कम्प्यूटरीकरण, मशीनकरण के नाम पर रोजगार छीन लेती है जिसके चलते देश में रोजगार प्राप्त करने की इच्छुक महिलाओं की संख्या बढ़कर 50.98 प्रतिशत हो गई है, तथा अब तक सरकार द्वारा कुल 6 फीसदी महिलाओं को ही रोजगार उपलब्ध करवाया जा सका है। उन्होंने आरोप लागाया कि इसमें भी उनके साथ यात्रा रियायत, चिकित्सा, पदोन्नति के अवसरों में व्यापक भेद भाव बरता जाता है।

इसके अतिरिक्त सर्व श्री प्रेमशंकर श्रीमाली, रामदास वैष्णव (दोनों अध्यापक) व बालविकास विभाग के वरिष्ठ कारकून श्री सोहनलाल तलेसरा ने भी सम्मेलन को सम्बोधित किया। तीनों गणमान्य नागरिकों ने अपने उद्बोधन में यूनियन की समस्त मांगों की मुक्तकंठ से सराहना की तथा आंगनवाड़ी कामगारों के शोषण के खिलाफ अपनी सहमति जताई किन्तु उन्होंने मानदेय शब्द पर आपत्ति उठाते हुए कहा कि इसके स्थान पर वेतन शब्द जोड़ा

जाये तो उचित रहेगा।

अंत में सम्मेलन में सर्वसम्मति से चुनी गई कार्यकारिणी में सर्व श्रीमती कंचन सेठ अध्यक्ष, श्रीमती किरण शर्मा (सायरा), श्रीमती वनीत हरकावत (मजावद), श्रीमती दुर्गा सोनी (रावलिया), श्रीमती भंवरी बाई पालीवाल (नान्देशमा) को उपाध्यक्ष, श्रीमती गोपीबारबर (गोगुंदा) महासचिव, श्रीमती नन्दूदेवी वैष्णव सह सचिव, तथा श्रीमती मुन्नीकोठारी को कोषाध्यक्ष चुना गया। श्रीमती जोकेश सोनी (तरपाल-नान्देशमा), श्रीमती चन्द्रकांता विजयवर्गीय (सायरा), श्रीमती रोडी देवी गमेती (गोगुंदा), श्रीमती सीता श्रीमाली (सायरा), श्रीमती सज्जनबाई (बगदुन्दा), श्रीमती मीना श्रीमाली (ढुढ़ी) श्रीमती आशादेवी गरासिया (नान्देशमा), श्रीमती ललिता सुराणा (गोगुंदा) श्रीमती चंपा सरगरा (सायरा) श्रीमती लहरी बाई (सायरा) श्रीमती भगवती बाई आमेठा (गोगुंदा) को कार्यकारिणी सदस्य तथा श्री प्रेम शेकर श्रीमाली, श्री रामदास वैष्णव (दोनों अध्यापक) को क्रमशः कार्यकारिणी का संरक्षक एवं उपसंरक्षक बनाया गया है।

आंगनवाड़ी का. यू. गोगुंदा सभा सम्पन्न— 13 जनवरी को, सायरा में सभा

उदयपुर, 11 जनवरी/राष्ट्रीय अधिवेशन की शानदार कामयाबी के बाद आंगनवाड़ी कामगार यूनियन की पहली सभा कल यहां श्रीमती गोपी बारबर के निवास गोगुंदा में सम्पन्न हुई। सभा में यूनियन के संभागीय सचिव का. बी. एल. छानवाल एवं संभाग पर्यवेक्षक व यूनियन के कार्यालय सचिव कामरेड रफीकुर्रहमान समेत गोगुंदा प्रोजेक्ट की विभिन्न सेक्टर्स से आई सैकड़ों कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं उपस्थित थीं। सभा का संचालन श्रीमती ललिता सुराणा एवं अध्यक्षता श्रीमती कंचन सेठ ने की।

सभा में महाधिवेशन की समीक्षा समेत, स्थानीय समस्याओं—समय पर पोषाहार वितरण, लकड़ी के बिल, भवन किराये व पोषाहार को सुधार कर बदलते हुए रूप में देने जैसी यूनियन की मांग को जायज ठहराते हुए कई निर्णय एवं प्रस्ताव पारित किए गए।

सभा में पारित एक प्रस्ताव में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रंगनाथ मिश्र द्वारा महिलाओं पर की गई उस कथित टिप्पणी से संबंधित था जिसमें उन्होंने 'औरत' को सिर्फ घर की चारदीवारी में रहकर घर की शोभा बढ़ाने की 'वस्तु' कहा था। इसकी शर्म-शर्म की, ध्वनि के साथ भर्त्सना की गई—तथा वहीं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की अध्यक्ष अहिल्या रांगणेकर व आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स फेडरेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष का. विमल रणदिवे का आभार व्यक्त किया गया, जिसके कड़े प्रतिरोध में मुख्य न्यायाधीश को लिखित रूप में अपनी टिप्पणी वापस लेने को मजबूर होना पड़ा।

सभा में उपस्थित सायरा की महिलाओं के विशेष आग्रह पर यूनियन की अगली सभा 13 जनवरी को सायरा में करने का भी निर्णय लिया गया।

अन्त में सभा को संबोधित करते हुए यूनियन के महासचिव व पर्यवेक्षक रफीकुर्रहमान ने भीषण सर्दी व अनेक कठिनाइयों की परवाह किए बिना गोगुंदा प्रोजेक्ट की बहादुर कामगारों का महाधिवेशन में भागीदारी के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि अधिवेशन की शानदार कामयाबी के बाद देश भर की सात लाख आंगनवाड़ी कामगार अब अकेली नहीं रह गई हैं। उदयपुर महाधिवेशन उन्हें यह विश्वास देने में सफल हुआ कि अब ज्यादा दिन उनका शोषण नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने अधिकारियों, सी. डी. पी. ओ. व एल. एस. के. इस भ्रम को गलत बताया कि यूनियन की लड़ाई उनके खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई सरकार के उस उपेक्षापूर्ण रवैये के खिलाफ है, जिसके तहत देश की सात लाख आंगनवाड़ी कामगारों को बिना स्थाई किये 110 व 225 रुपये 'मानदेय' के नाम पर भयंकर शोषण किया जा रहा है और चतुर्थ कर्मचारी की तो बात ही क्या, न्यूनतम वेतन के बराबर भी नहीं है। उन्होंने अधिवेशन में भाग लेने वाली कामगारों के वेतन से 15 दिन का पारिश्रमिक काट लेने की धमकी और बढ़े हुए पैसे का भुगतान अब तक नहीं किये जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

उदयपुर में आयोजित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं के राष्ट्रीय सम्मेलन का संक्षिप्त विवरण

प्रस्तुति रफीकुर्रहमान (कार्यालय सचिव ग्रां. का. यू.)

झीलों की नगरी उदयपुर में गत 5 व 6 जनवरी को यहां टाउन हॉल में देश भर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने "समान काम—समान वेतन", आंगनवाड़ी कामगारों को स्थाई करने एवं अपनी अनेक मांगों के शीघ्र निराकरण की दिशा में अनेक ठोस निर्णय लिये जिसमें मुख्य रूप से आंगनवाड़ी वर्क्स एण्ड हैल्पर्स फैडरेशन की स्थापना है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के इस प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन आजाद हिन्द फौज की रानी झांसी रेजीमेंट की तत्कालीन कप्तान डा० लक्ष्मी सहगल ने किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि देश में महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब है जिसमें कामकाजी महिलाओं में आंगनवाड़ी कामगार तो बदतर हालातों में अपने कार्य को अंजाम देती हैं। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में हजारों बहादुर महिलाएं वतन को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद कराने में शहीद हुई थीं लेकिन आजादी के 42 वर्ष बाद भी देश की महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार नहीं होना गंभीर चिन्तन का विषय है। सम्मेलन की मुख्य अतिथि पं० बंगाल की राहत एवं कल्याण मंत्री छाया बेरा थीं।

उन्होंने देश में महिलाओं के हालात व कुपोषण आदि के चलते बढ़ती शिशु-मृत्यु दर के बारे में विस्तार से चर्चा की। छाया बेरा ने अपने ओजस्वी भाषण में बताया कि राजस्थान में आज भी महिला साक्षरता मात्र 11.3 प्रतिशत है और जेसलमेर जिले में तो यह दर मात्र 1.67 फीसदी ही है जो पूरे देश में सबसे कम है। उन्होंने बताया कि बाल विकास के अनेक कार्यक्रमों के बावजूद विश्व में प्रतिदिन होनेवाली चालीस हजार बच्चों की मौत में से भारत में मरने वाले बच्चों की संख्या दस हजार से अधिक है।

उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, निर्धनता व सामाजिक अन्याय के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुये कहा कि अभी भी भारत से प्रति वर्ष दस हजार महिलाएं विदेशों में बेची जाती हैं और आज की तारीख में तेरह लाख महिलायें वेश्यावृति करने को मजबूर हैं जिनमें दो लाख महिलायें तो पिछले दो वर्षों में इस धंधे को करने के लिए विवश हुई हैं। देश भर में समेकित बाल विकास कार्यक्रम के तहत चल रही चार हजार छः सौ अट्ठासी (4688) परियोजनाओं में कार्यरत सात लाख से अधिक महिला कामगारों को छायाबेरा ने विश्वास दिलाया कि वे उनके इस संघर्ष में हर तरह से सहयोग देंगी। उन्होंने पं० बंगाल में सरकार की तरफ से आंगनवाड़ी कामगारों के बढ़े हुए भत्ते एवं "मानदेय" के बारे में सम्मेलन को जानकारी दी।

सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में सीटू के केन्द्रीय सचिव रणजीत बसु, विमल रणदिवे, सीटू के प्रदेश महामंत्री, रवीन्द्र शुक्ला, जनवादी लेखक संघ के बृजेन्द्र कौशिक, जनवादी महिला समिति की सुमित्रा चोपड़ा, प. बंगाल के माकपा विधायक अविनाश प्रमाणिक, ब्रजगोपाल नियोगी, अंजु कौर, रानी कोनार तथा सम्मेलन की स्वागत समिति के अध्यक्ष बंशीलाल सिंघवी, महामंत्री बी. एल. छानवाल तथा छात्र नेता अशोक पालीवाल सहित अनेक गणमान्य नागरिक, पत्रकार तथा बुद्धिजीवी उपस्थित थे।

इस सत्र के बाद आठ हजार से अधिक महिलाओं की विशाल रैली टाउन हाल से शुरू हुई जो 'आंगनवाड़ी कामगारों को स्थाई करो—स्थाई करो', 'जीने लायक वेतन दो—वेतन दो', 'मकान खेत के पट्टों पर लिखा जाये औरत का नाम' आदि नारे लगाती हुई शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए बापू बाजार पहुंच कर आम सभा में तब्दील हो गई। जिसे डा. लक्ष्मी सहगल, प. बंगाल मंत्री छाया बेरा तथा पंजाब से आई सुरेन्द्र कौर सहित अनेक नेताओं ने संबोधित करते हुए सरकार से आंगनवाड़ी कामगारों को स्थाई करने की मांग की। रैली का रास्ते

में शहर के अनेक संस्थाओं द्वारा जगह-जगह तोरण द्वार बनाकर भव्य स्वागत किया गया तथा फूल व गुलाल की वर्षा की गई। रैली का मुख्य आकर्षण पंजाब से आई हुई बहादुर महिलाएं थीं जो पंजाबी वेशभूषा में रैली के आगे-आगे चल रही थीं इनके पीछे प. बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, पांडिचेरी तथा अन्य राज्य की महिलाएं चल रही थीं। मेजमान राजस्थान की प्रतिनिधि सबसे पीछे चल रही थीं। आम सभा की समाप्ति के बाद टाउन हाल में एक सांस्कृतिक संध्या आयोजित की गई जिसमें देश की अनेक भाषाओं के काव्य पाठ, श्रोताओं को सुनने को मिले। सम्मेलन स्थल के बाहर साम्प्रदायिक सद्भाव व राष्ट्रीय एकता आदि विषयों पर भव्य पोस्टर प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी जिसे लोगों ने खूब सराहा।

सम्मेलन के दूसरे दिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका संघ की तैयारी कमेटी की राष्ट्रीय संयोजिका विमल रणदिवे ने तेरह पृष्ठ की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सरकार से मांग की गई है कि शहरी व ग्रामीण इलाकों में प्रति एक हजार की आबादी पर एक आंगनवाड़ी केन्द्र तथा पर्वतीय क्षेत्र में सात सौ की आबादी पर ऐसा केन्द्र खोलना तय था लेकिन अब तक सिर्फ 17 करोड़ की आबादी में ही यह केन्द्र खुल पाये हैं जबकि देश की आबादी 80 करोड़ से ऊपर है जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। रिपोर्ट में समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि इस योजना को यूनिसेफ नोराष्ठ (नार्वेजीयन एजेंसी) केयर तथा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा आर्थिक मदद मिलती है इसके तहत चल रहीं योजनाओं में विदेशी पूंजी के प्रति सम्मेलन में गहरी चिन्ता प्रकट की गई है तथा सरकार से पूर्ण आत्मनिर्भर होकर इन योजनाओं को लागू करने की दिशा में ठोस प्रयास करने की मांग पर बल दिया गया है।

सम्मेलन में रोजगार कार्यालयों में रोजगार प्राप्त करने की इच्छुक महिलाओं की बढ़ती दर के हिसाब से रोजगार उपलब्ध कराने की सरकार से मांग की गई। सम्मेलन में कहा गया कि महिलाओं के लिए समान स्तर को सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक निर्भरता एक अनिवार्य शर्त है लेकिन केवल 19 प्रतिशत महिलाओं को ही पूर्णकालिक रोजगार प्राप्त है और इनमें से 90 प्रतिशत महिलाएं असंगठित क्षेत्र में हैं, जहां उनका आसानी से शोषण किया जा सकता है। अन्धाधुन्ध मशीनीकरण और आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप जूट, टेक्सटाइल्स, माइनिंग जैसे परम्परागत उद्योगों से 30 से 60 प्रतिशत तक महिलाओं को काम से हटाया गया है, जिसके प्रति सम्मेलन में चिन्ता प्रकट की गई।

सम्मेलन में ग्रामीण महिलाएं जिनमें खेतिहर मजदूर, गरीब किसान और दस्तकार हैं, के प्रति सरकारी उदासीनता बर्ते जाने की भी आलोचना की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि महिलाओं को हुनर वाले कार्यों के लिए प्रशिक्षण देने के कोई विशेष प्रयास नहीं किए जा रहे हैं जिसके कारण 89.69 प्रतिशत ग्रामीण महिला श्रम-शक्ति हुनरमंद नहीं है और खेतिहर मजदूरिनों को तो असमान वेतन शारीरिक शोषण तो आम बात है। रिपोर्ट में इस बात का जोर देकर उल्लेख किया गया कि केरल और प. बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों में भूमि सुधार लागू न किये जाने को देखते हुए महिलाओं में संयुक्त एवं एकल पट्टा दिये जाने का सरकारी वायदा खाली वायदे के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहा। रिपोर्ट में महिलाओं में बढ़ते निरक्षरता के प्रति भी गहरी चिन्ता प्रकट की गई तथा बताया गया कि महिला संगठनों द्वारा बार-बार उठाई गई मांग तथा सरकार के आश्वासनों के बावजूद महिलाओं के प्रति पक्षपात तथा पाठ्यक्रम में उनको रूढ़िवादी रूप में प्रस्तुत किया जाना अभी तक जारी है। स्वास्थ्य विज्ञान के जबरदस्त विकास के बावजूद महिलाओं की इलाज के अभाव में बढ़ती मृत्यु दर के प्रति भी सम्मेलन में चिन्ता की गई तथा मांग की गई कि इसे रोकने के व्यापक बंदोबस्त किये जाने चाहिए।

150 से अधिक प्रतिनिधियों द्वारा रिपोर्ट पर बहस के उपरान्त सर्वसम्मति से रिपोर्ट पारित की गई तथा सरकार से मांग की गई कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को केन्द्रीय राज्य कर्मचारी घोषित करने तथा ऐसी घोषणा होने तक उन्हें छः घंटे की ड्यूटी के लिए क्रमशः 600 व 400 रुपये माहवार मानदेय दिए जाने, पदोन्नति की सुविधा देने, कम से कम दो बच्चों तक जच्चा सुविधाएं दिए जाने, सरकारी नियमानुसार वेतन, छुट्टी, बीमारी पर छुट्टी व साप्ताहिक अवकाश दिए जाने व प. बंगाल की तरह त्योहार बोनस देने, भत्ता देकर प्रशिक्षण अनिवार्य करने, आंगनवाड़ी केन्द्रों पर ईंधन, चावल व पोषाहार सरकारी

[शेष पृष्ठ 24 पर]

बहुराष्ट्रीय निगम : कामकाजी महिलाओं के दमन के एजेंट

बीस साल पहले जब एशिया में मुक्त व्यापार क्षेत्रों/निर्यात संसाधन क्षेत्र स्थापित हुए थे, तथा बहुराष्ट्रीय निगमों ने यहाँ अपना कामकाज स्थापित किया था, तब यह दावा किया गया था कि उससे महिलाओं के लिए काम के अवसर बढ़ेंगे। बेशक युवा एशियाई महिलाएं औद्योगिक कार्य में अभूतपूर्व ढंग से शामिल की गयीं। इस प्रक्रिया ने एशिया में महिलाओं पर औद्योगीकरण के प्रभाव की चर्चाओं को जन्म दिया। कुछ लोगों ने कहा कि इस प्रकार महिलाएं आर्थिक आजादी प्राप्त कर रही हैं, तथा फैक्ट्रियों में काम करने के फलस्वरूप महिलाएं अनुभव प्राप्त कर सकीं, जिसके कारण वे परम्परागत गृहणी की भूमिका से बाहर आयीं।

हालांकि ये दावे सच हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी समझा गया कि बहुराष्ट्रीय निगम महिलाओं के दमन के एजेंट हैं। दरअसल, वर्षों के अनुभव ने सिद्ध कर दिया है कि बहुराष्ट्रीय निगम महिलाओं की परंपरागत भूमिका को प्रायः अपने हितों के लिए विकृत करके इस्तेमाल करते हैं। जापान की टोनों हारुची ने हाल ही में शिनशिरासुना इलैक्ट्रिक कं० (एक जापानी बहुराष्ट्रीय कम्पनी) के बारे में एक विस्तृत रपट प्रकाशित की है। शिनसुरासुना प्रबन्धकों की चालबाजियों को उजागर करते हुए यह बतलाने का प्रयास किया है, कि किस प्रकार ये बहुराष्ट्रीय निगम महिलाओं की भूमिका को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं।

यहाँ हम टोनों हारुचि के अध्ययन का सार-संक्षेप, तथा ग्रास रूट वोमेन वर्कर्स सेंटर, ताईवान से शिन-शुरासाना की चालों के बारे में प्राप्त अतिरिक्त जानकारी प्रकाशित कर रहे हैं।

शिनशिरासुना प्रबन्धकों की चालबाजियां : शिन-शिरासुना इलैक्ट्रिक कं०, जापान की एक मध्यम दर्जे की इलैक्ट्रिक कम्पनी है। इसकी पूर्ववर्ती शिरासुना इलैक्ट्रिक 1957 में दिवालिया हो गयी। इससे कुछ ही पहले वहाँ की लेबर यूनियन ने, प्रबन्धकों को सभी महिला कर्मचारियों को 25 वर्ष की उम्र में जबरन रिटायर करने से सफलतापूर्वक रोका था। जब शिरासुना इलैक्ट्रिक के स्थान पर शिन-शिरासुना की स्थापना हुई तो नये प्रबन्धकों ने कामकाज को देश में व बाहर फैलाने का विचार बनाया।

अपने लिए रास्ता साफ करने के लिए कम्पनी को पिछली मजदूर समर्थक यूनियन को हटाना था। इसने नये वेतनमानों की घोषणा की जो पूर्णकालिक पुरुषक मंचारियों के हित में थे, लेकिन इनमें महिलाओं के साथ भेद-भाव होता था। साथ ही प्रबन्धकों की समर्थक यूनियन बनायी गयी जिसमें 13 पुरुष कर्मचारी थे। नये वेतनमानों के विरुद्ध तीन महीनों तक संघर्ष करने के बाद पिछली यूनियन कमजोर होने लगी, क्योंकि नयी यूनियन में शामिल होने वालों को पदोन्नति दी जाती थी।

जब मजदूर समर्थक यूनियन टूट गयी तो प्रबन्धकों ने विस्तार का नया कार्यक्रम आरंभ किया। टोनों हारुचि के अनुसार शिन-शिरासुना ने निम्नलिखित नीतियों का श्रीगणेश किया, जिन्हें बाद में अन्य कम्पनियों ने भी अपनाया 1. जापान में अल्पकालिक कर्मचारियों (अधिकतर गृहणियों) को नौकरी पर रखना; 2. निर्जन ग्रामीण इलाकों में सैटेलाइट प्लांट्स की स्थापना; 3. एशिया में समुद्र पार पूंजीनिवेश।

श्रमिकों की कमी के कारण जापान सरकार ने 1968 में गृहणियों को रोजगार में लाने के इरादे से एक श्रम नीति तैयार की थी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए शिन-शिरासुना ने गृहाणियों को अल्पकालिक कर्मचारियों के रूप में नौकरी पर रखा, और उन्हें बेहद कम तनख्वाह दी जाती थी; हालांकि वे प्रतिदिन पुरुष कर्मचारियों से केवल 35 मिनट कम काम करती थीं। पूर्णकालिक कर्मचारियों को अल्पकालिक कर्मचारियों के कामकाज की देख-करने को कहा जाता था, तथा ऐसा महसूस कराया जाता रेख था कि उन पर अधिक जिम्मेदारी है।

प्रबन्धकों की फूट डालो व शासन करो नीति के कारण पूर्ण-कालिक कर्मचारी अपने साथी कर्मचारियों के साथ होने वाले अन्याय को नहीं देख सके। दूसरी ओर अल्प-कालिक कर्मचारी महिलाएं अपने आप में गृहणियों के रूप में ही देखती रहीं। अतः उन्होंने इस गलत व्यवहार को

भी स्वीकार कर लिया।

1964 से 1968 के बीच शिन-शिरासुना ने ग्रामीण निर्जन इलाकों में पाँच सैटेलाइट प्लांट्स स्थापित किये। इस उम्मीद से कि वे कम तनख्वाह पर युवतियों को नौकरी पर रखेंगे। इन ग्रामीण इलाकों में अधिकतर विवाहित महिलाएं ही रहती थीं। परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में गृहणियों को नौकरी पर रखा गया। इन्हें प्रमुख प्रतिष्ठान में काम करने वालों से बहुत कम तनख्वाह दी जाती थी तथा 40 वर्ष की उम्र के बाद उन्हें जबरन अल्पकालिक कर्मचारी बना दिया जाता था।

1978 से 1982 के बीच में जापानी येन का तेजी से मूल्य बढ़ने तथा, कम निर्यात प्रतियोगिता के कारण अपने अधिकतर घरेलू प्रतिष्ठान बन्द कर दिये। जापानी मजदूरों ने इसके विरुद्ध संघर्ष किया था। नगोया फैक्ट्री के मजदूरों ने संघर्ष में साथ दिया। कम्पनी ने पुनः विभाजनकारी गतिविधियाँ आरम्भ कीं। पूर्णकालिक कर्मचारियों को (जो कि कम संख्या में थे) पुनः नौकरी प्रदान किया जब कि अल्पकालिक कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए बाध्य किया। परिणामस्वरूप अल्पकालिक कर्मचारियों को अकेले संघर्ष करना पड़ा।

ताइवान शिरासुना में लिंग संबंधी भेद-भाव : 1984 तक शिन-शिरासुना का एक प्रमुख उत्पादन केन्द्र बन गया था, जबकि उसका आरंभ काओहेलियुंग मुक्त व्यापार क्षेत्र में 1966 में ही हुआ था। अपने चरमदिनों में शिन-शिरासुना ने 2800 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी पर रखा था, जिनमें से अधिकतर अविवाहित महिलाएं थीं।

ताइवान में शिन-शिरासुना ने पुनः महिला कर्मचारियों का शोषण किया। विवाह के बाद महिला कर्मचारियों को सेवा-निवृत्त होने पर मजबूर किया जाता था। दूसरी ओर कोई महिला यदि 25 वर्ष की नौकरी पूरी करने के पहले स्तीफा देती थी तो उसे कोई मुआवजा नहीं मिलता था।

ताईवान की ग्रासरूट वोमेन वर्कर्स सेंटर ने एक मामले का उल्लेख किया है जिसमें एक महिला ने 8 वर्ष की नौकरी के बाद स्तीफा देने का फैसला किया। चूंकि उसे कोई मुआवजा नहीं मिलना था अतः उसने अपने वारदत्त से विवाह का फैसला किया, ताकि वह कुछ मुआवजा हासिल कर सके।

1989 में कंपनी ने घोषणा की कि विवाह के बाद भी महिलाएं अपनी नौकरियाँ जारी रख सकती हैं, लेकिन उन्हें अपनी पहले की नौकरी को रद्द मानकर नये सिरे से शुरूआत करनी होगी। इसके अलावा शिन-शिरासुना में पदोन्नति में भी महिलाओं के साथ भेद-भाव हुआ। सामान्यतः महिलाओं को लाइन ऑपरेटर से सहायक निरीक्षक तक पहुंचने में 8 वर्ष लगते हैं। इसके बाद स्थान पुरुषों के लिए आरक्षित होते थे। ओवर टाइम के रूप में महिला कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का केवल एक तिहाई दिया जाता था, जो कि उनकी कुल आमदनी का प्रायः दो-तिहाई होता था (सभी भत्तों को मिलाकर)। ताइवान सरकार द्वारा 1984 में मजदूर मानक कानून करने के पहले ही ताइवान शिरासुना ने ठेके पर भर्ती आरम्भ कर दी। छोटी फैक्ट्रियों से ठेके पर कर्मचारी रखे जाते थे। वे कुछ समय के लिए काम पर रखे जाते थे, और उन्हें बिना किसी मुआवजे के निकाला जा सकता था। 1986 में जब ताइवान शिरासुना को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा तब सबसे पहले 300 ठेके के कर्मचारियों को निकाला गया।

इलैक्ट्रोनिक उद्योग के आगमन के बाद शिन-शिरासुना ने ताइवान में अपना कामकाज (कर्मचारी संख्या) घटाने का फैसला किया। उसने मलेशिया में नया प्रतिष्ठान स्थापित करने का फैसला किया। 1988 तक ताइवान शिरासुना में केवल 930 कर्मचारी बचे। ताइवान से कर्मचारियों को नये लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए मलेशिया भेजा गया।

इस जनवरी तक ताइवान शिरासुना में हफ्तावार काम के घण्टे घटा दिए गये। जल्द ही मजदूरों को पता चला कि आदेश व मशीनें मलेशिया भेजी जा रहीं हैं। कंपनी ने अपने कैंटीन व बसें चलाना बन्द करके कुछ कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए बाध्य किया। जब तक कम्पनी ने 85% स्टॉक बेचने का फैसला किया, तब तक वहाँ केवल 630 कर्मचारी बचे थे।

ताइवान शिरासुना में यूनियन थी मगर वह प्रबन्धकों की ही समर्थक थी। जब प्रबन्धक अपना काम-काज समेट रहे थे, यूनियन ने कोई कदम नहीं उठाया। यहाँ तक कि जब शिन-शिरासुना ने ताइवान से हटने का फैसला किया तो यूनियन इस पर मजदूरों से बात किये बगैर राजी हो

गयी। जब मजदूरों ने हड़ताल कर दी तभी जापानी प्रबन्धक उन्हें मुआवजा देने को तैयार हुए थे, लेकिन नये प्रबन्धकों का अभी मजदूर प्रतिनिधियों से बाँट करके मुआवजे पर निर्णय लेना बाकी है।

सार : अब यह अच्छी तरह जान लिया गया है कि बहुराष्ट्रीय निगम यहां सस्ती महिला मजदूरों की उपलब्धता के कारण आये। दूसरे शब्दों में बहुराष्ट्रीय निगम दब्बू श्रमिकों की उम्मीद से आये। हालांकि यह सही है कि एशियाई महिलाओं को वर्षों से परिवार के लिए कुरबानी देने की शिक्षा दी गयी है, लेकिन उनके हितों का इन उद्योगों द्वारा तोड़ा-मरोड़ा जाना उनकी अनुभवहीनता के कारण हुआ न कि उनके दब्बूपन के कारण। साथ ही हमारा समाज महिलाओं की प्राथमिक भूमिका विवाह तथा परिवार तक ही सीमित करके देखता है, अतः नौकरियों में उनके निम्न व असुरक्षित स्थान को कुछ श्रमिक संघों ने चुनौती दी व उन्हें संगठित करने के काम को महत्त्व दिया।

शिन-शिरासुना ने अपने देश जापान से शुरू करके ताईवान और अब मलेशिया में काम किया, हर मौके पर उसने महिला मजदूरों का अपना लाभ बढ़ाने के लिए शोषण किया।

अपने अध्ययन के सार के रूप में टोनी हारुचि का का कहना है कि जापानी कम्पनी की चालबाजियां दरअसल समाज में महिला कर्मचारियों के 'असंगठित दर्जे' पर आधारित हैं। उसने भेद-भाव बरत कर महिला मजदूरों का अपने हितों के अनुसार प्रयोग किया।

बेशक महिला कर्मचारियों के समाज में निम्न स्थान का लाभ उठाते हुए बहुराष्ट्रीय निगमों ने महिलाओं की परंपरागत छवि को ही सुदृढ़ करने का प्रयास किया और उन्हें आगे आने व संगठित होने से रोका।

एशिया में प्रथम मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना को ढाई दशक हो गये हैं, अभी भी वहां अधिकतर महिला कर्मचारी हैं व श्रमिक संघों व हड़तालों पर रोक लगी हुई है। जहां कहीं कामकाजी महिलाओं ने श्रमिक संघों की स्थापना में सफलता भी पाई है, वहां यूनियन के नेताओं व सदस्यों को तंग किया जाता है व कभी-कभी तो सीधे हिंसा का प्रयोग भी किया जाता है। बहु राष्ट्रीय निगम चुपचाप अपना काम बन्द करके किसी दूसरे देश में चले जाएंगे जैसा कि अधिकतर एशियाई देशों में हो रहा है।

[पृष्ठ 21 का शेष]

खर्च से उपलब्ध कराने, केन्द्र के लिए भूमि व भवन निर्माण के लिए राशि उपलब्ध कराने केन्द्र के पास बालगृह खोले जाने, कामगारों को उनके गृह स्थान के समीप नियुक्ति देने तथा महिलाओं के साथ छेड़छाड़ व अभद्र व्यवहार करनेवाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये।

राज्य सभा सांसद सरला माहेश्वरी व बीकानेर के सांसद श्योपत सिंह मक्कासा ने सम्मेलन में उपस्थित होकर देश भर की महिलाओं को विश्वास दिलाया कि वे पुनः संसद के पटल पर आंगनवाड़ी कामगारों की मांगें मान लेने के लिए सरकार पर दबाव डालेंगे।

इस अवसर पर फेडरेशन के संविधान को भी अंतिम रूप दिया गया तथा आगामी वर्षों में महिलाओं के संघर्ष को कामयाबी तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी चुनाव किया गया। सम्मेलन के अन्त में सभी आंगनवाड़ी महिलाएं हमारा प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन कामयाब-कामयाब के नारे लगाते हुए अपने-अपने गन्तव्य स्थानों के लिए विदा हुई।

[पृष्ठ 9 का शेष]

अतः उन्होंने हम से सह-सचिव श्री रवीन्द्र गुप्ता से 4.15 बजे बात कर लेने को कहा। एक लम्बी चर्चा के बाद सचिव महोदय इस बात से सहमत हुए कि विमान परिचारिकाओं की कार्य-स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए, व मंत्री महोदय, मंत्रालय के अधिकारियों तथा विमान परिचारिकाओं के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक होगी जिसमें उनकी समस्याओं पर विचार किया जायेगा।

9 तारीख को सायं 3 बजे डिप्टी लेबर कमिश्नर, तथा 4 बजे सह-सचिव के साथ मीटिंग हुई। उनसे यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया कि एयर इण्डिया ई. आर. ए. के प्रावधान से बाहर नहीं है। सैक्शन 16 के अन्तर्गत 79 नम्बर एक अधिसूचना है कि ई. आर. ए. विमान परिचारिकाओं पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी नियुक्ति व वेतनमान अलग हैं। हालांकि 1986-87 में ई. आर. ए. में संशोधन किया गया व यह स्पष्ट किया गया है कि ई. आर. ए. विमान परिचारिकाओं पर लागू होता है तथा वह अधिसूचना केवल नियुक्ति व पारिश्रमिक पर लागू होती है, कार्य-स्थिति पर नहीं।

सभी दस राष्ट्रीय श्रमिक संघों ने भी इस मुद्दे पर समर्थन व्यक्त किया है व सरकारी निर्देश को लागू करवाने तथा विमान परिचारिकाओं के साथ भेद-भाव समाप्त कराये जाने के बारे में प्रधान मंत्री व नागरिक उड्डयन मंत्री को ज्ञापन दिये हैं।